प्रेषक – शरद कुमार बंसल
पी. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.)

दिनांक : 14/07/2025

प्रति,

श्री मान वनमंडल अधिकारी महोदय
वन मण्डल सतना
जिला सतना (म.प्र.)

विषय : वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट से ओकर, व्हाइटक्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010.

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. एफ-1/FP/MIN/33660/2018/211 दिनांक 17.01.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. FP/MP/MIN/33660/2018 दिनांक 16.01.2025 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

बिंदु क्र. 1 :-

प्रकरण से संबंधित समस्त Chronology सह पत्रों के साथ संलग्न प्रेषित है।
प्रपत्र – 1 (परिशिष्ट P-1 से परिशिष्ट P-43 तक)

बिंदु क्र. 2 :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.12.2002 को 8.0 हे. वनक्षेत्र में खनन हेतु अनुमति दी गई थी। जिसे दिनांक 21.07.2009 में संशोधित कर 4.6 हे. किया गया।
संलग्न प्रपत्र -2 एवं 3

इस खदान का सेफ्टी जोन 0.802 है. है तथा यह 0. 802 हे. इसी 4.6 हे. स्वीकृत क्षेत्र में सम्मलित है। सेफ्टी जोन स्वीकृत 4.6 Ha. क्षेत्र के बाहर नहीं है। अतः सेफ्टी जोन का NPV भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

सेफ्टी जोन दर्शाने वाली KML फाइल को प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु क्र. C (ii) में अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त Component wise breakup में भी बिंदु क्र. B 24 में सुधार कर दिया गया है। संलग्न प्रपत्र -4

अतः प्रस्ताव में उल्लेखित सम्पूर्ण 4.6 हे. वनभूमि की NPV पूर्व से ही जमा की जा चुकी है। संलग्न प्रपत्र- 5 एवं 6

बिंदु क्र. 3 :-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2002 से जारी स्वीकृति तथा संशोधित आदेश दिनांक 21.07.2009 में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु A-5 पर अपलोड है | पालन प्रतिवेदन की प्रति पुनः संलग्न है | प्रपत्र- 7 एवं 8

बिंदु क्र. 4 :-

वन भूमि के स्वीकृत खनिपट्टा 8.0 हे. क्षेत्र में पूर्व में वन विभाग एवं खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी | स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र 8.0 हे. में से वन विभाग द्वारा वर्ष 2009 में 3.4 हे. क्षेत्र पर समर्पण स्वीकार कर शेष बचे 4.6 हे. क्षेत्र पर सीमांकन कर उत्खनन की अनुमति दी गई थी (3.4 हे. वनक्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया गया था तथा यह वन विभाग के अधिपत्य में है) प्रार्थी द्वारा 4.6 हे. क्षेत्र पर ही खनिपट्टा का नवकरण चाहा गया है | इस 4.6 हे. क्षेत्र से ही उत्खनन कार्य किया जायेगा |
संलग्न प्रपत्र -9

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2015 के अनुसार खनिपट्टा की अवधि 50 वर्ष मान्य है | अतः भारत सरकार द्वारा इस खदान की FCA 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त होने पर खदान 2054 तक प्रभावशील रहेगी |

बिंदु क्र. 5 :-

इस खदान के लिए 4 मी.चौड़ी तथा 145 मी. लम्बी निकासी मार्ग की आवश्यकता है | जिसका कुल रकबा 0.058 हे. होता है | इस 0.058 हे. की KML File प्रस्ताव के भाग-1 में बिंदु क्र. C(a) एवं बिंदु क्र. B 24 पर अपलोड कर दी गई है |
संलग्न प्रपत्र -10

बिंदु क्र. 6 :-

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 8.0 हे. गैर वनभूमि ग्राम ग्यागांव खसरा न. 96/1 परिक्षेत्र मझगवां वन मंडल सतना को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा रोपण की राशि भी जमा करवा दी गई है | KML File भाग-1 के कालम क्र.   में अपलोड कर दी गई है, इस बिंदु का संबंध वन विभाग से है |
संलग्न प्रपत्र - 11

अतः उपरोक्तानुसार चाही गई समस्त जानकारी सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है | कृपया अतिशीघ्र स्वीकृत आदेश जारी करने की कृपा करें |

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

Sharad Kumar Bansal
P.O. JAITWARA
Dt. Satna (M.P.) Pin-485 221

प्रपत्र- 1

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन) जोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.01.2025.

बिंदु क्रमांक - 1 Chronology of mine (Poparitola 4.6 H. file no. F-1/FP/MP/MIN /33660/2018 की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार द्वारा इस खदान के लिए पत्र दिनांक 19.12.2002 से 8.0 Ha. वन क्षेत्र की गैरवानिकी उपयोग की अनुमति वन एवं पर्यावरण अधिनियम 1980 के तहत दी गई। भारत सरकार की अनुमति की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट P-1

2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2002 से जारी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे वन मंडलाधिकारी सतना द्वारा दिनांक 11.02.2004 को मुख्य वन संरक्षक भोपाल को भेजा गया। संलग्न परिशिष्ट P-2

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत वनक्षेत्र 8.0 Ha. में से 3.4 Ha. वनक्षेत्र में खनिज की उपलब्धता पर्याप्त न होने के कारण इसे वन विभाग को समर्पित किया गया। तदानुसार भारत सरकार द्वारा शेष 4.6 Ha. वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग हेतु संशोधित स्वीकृति पत्र दिनांक 21.07.2009 से जारी की गई। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट P-3

4. भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.12.2002 के तत्पश्चात पत्र दिनांक 06.01.2010 को शुद्धि पत्र जारी किया गया, इस शुद्धि पत्र के अनुसार इस खदान की वैधता दिनांक 18.12.2012 तक निर्धारित की गई प्रति संलग्न है। परिशिष्ट P-4

5. इस खान की वैधता दिनांक 18.12.2012 को समाप्त होने पर यह खदान बंद कर दी गई।

6. इस खनिपट्टा का नवकरण आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2010 को प्रस्तुत किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-5

7. नवकरण आवेदन पत्र के सम्बन्ध में वन मंडलाधिकारी, सतना एवं वन संरक्षक, रीवा द्वारा समय-समय पर अतरिक्त जानकारियां चाही गई, जिसकी पूर्ती उपरांत दिनांक 31.01.2013 को वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-6

8. यह कि रजिस्ट्रेशन के बाद की समस्त औपचारिकता की पूर्ती करते हुए दिनांक 26.10.2013 को वन संरक्षक पदेन वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा प्रकरण मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजा गया। संलग्न परिशिष्ट P-7

9. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण को दिनांक 12.11.2013 को मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को अग्रेषित किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-8

10. मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2013 के द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रकरण को वेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भेजने हेतु वन मंडल अधिकारी सतना को लेख किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-9

11. तदनुसार प्रकरण को दिनांक 18.02.2014 को पोर्टल के माध्यम से वन मंडल अधिकारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजा गया। संलग्न परिशिष्ट P-10

12. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा प्रकरण को दिनांक 01.03.2014 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल को भेजा गया। संलग्न परिशिष्ट P-11

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.04.2014 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-12

14. वन संरक्षक वन मंडल सतना के पत्र दिनांक 27.08.2014 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल से जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-13

15. आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 20.10.14 द्वारा वन संरक्षक वन मंडल सतना द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई। संलग्न परिशिष्ट P-14

16. वन संरक्षक वन मंडल सतना द्वारा पत्र दिनांक 01.11.14 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजी गई। संलग्न परिशिष्ट P-15

17. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा पत्र दिनांक 25.11.14 द्वारा जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को भेजी गई। संलग्न परिशिष्ट P-16

18. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 24.01.15 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना से जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-17

19. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 27.09.16 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा गया। संलग्न परिशिष्ट P-18

20. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 30.01.17 द्वारा पुनः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से अभिमत चाहा गया। संलग्न परिशिष्ट P-19

21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा जिलाध्यक्ष सतना से चाही गई जानकारी कार्यालय कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 12.03.18 को दी गई। संलग्न परिशिष्ट P-20

22. कार्यालय कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी को वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 02.04.18 को मुख्य वन संरक्षक रीवा को भेजी गई। संलग्न परिशिष्ट P-21

23. मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को भेजी गई। संलग्न परिशिष्ट P-22

24. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.05.18 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-23

25. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) भोपाल के पत्र दिनांक 25.05.18 द्वारा चाही गई जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने के उपरांत दिनांक 07.06.18 को भाग-2 की पूर्ति हेतु लेख किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-24

26. ऑनलाइन प्रकरण भाग-2 की पूर्ती कर वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 07.08.2018 एवं वन संरक्षक रीवा द्वारा दिनांक 23.08.2018 को प्रेषित किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-25,26

27. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) भोपाल द्वारा प्रकरण को दिनांक 05.10.2018 को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-27

28. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2018 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू. प्रबंध) भोपाल से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-28

29. उपरोक्त पत्र द्वारा चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू. प्रबंध) भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.09.2019 द्वारा प्रदान की गई। संलग्न परिशिष्ट P-29

30. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण को REC में दिनांक 24.12.19 को एजेंडा न. 2 में रखा गया।

31. REC की मीटिंग में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) भोपाल से पत्र दिनांक 03.01.2020 के द्वारा चाही गई संलग्न परिशिष्ट P-30

32. चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.01.2020 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई। संलग्न परिशिष्ट P-31

33. प्रकरण को सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में REC में दिनांक 26.05.2020 एजेंडा न. 3 में रखा गया एवं प्रकरण को अनुशंसा के साथ भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया।

34. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2020 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-32

35. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा चाही गयी जानकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध) द्वारा दिनांक 24.09.2020 को प्रेषित किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-33

36. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2021 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-34

37. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल पत्र दिनांक 29.06.2021 द्वारा प्रेषित की गई। संलग्न परिशिष्ट P-35

38. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2021 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-36

39. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित की गई। संलग्न परिशिष्ट P-37

40. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2022 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-38

41. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 17.08.2022 को प्रेषित किया गया। संलग्न परिशिष्ट P-39

42. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 30.01.2023 से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-40

43. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 08.02.2023 को प्रेषित की गयी संलग्न परिशिष्ट P-41

44. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण REC मीटिंग में दिनांक 13.06.2023 को एजेंडा 10 में रखा गया। तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रकरण को अनुशंसा के साथ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 20.06.2023 को भेजा गया।

45. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई। संलग्न परिशिष्ट P-42

46. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारी पत्र दिनांक 23.10.2024 द्वारा प्रेषित की गई। संलग्न परिशिष्ट P-43

47. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 12.12.2024 को को प्रेषित की गई है।

48. भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 16.01.2025 से 06 बिन्दुओं की पुनः जानकारी चाही गई।

परिशिष्ट P-1

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Regional Office, Western Region,
E-5/240, अरेरा कॉलोनी Arera Colony,
भोपाल (म.प्र.)/Bhopal-462016 (M.P.)
दूरभाष/Phone: 466525, 465496, [illegible]
फैक्स/Fax: 0755-465102
तार/Telegram: CENFOREST
ई-मेल/E-mail: [illegible]

क्रमांक: [illegible] 2971

दि- 19-12-2002,

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, [illegible]
भोपाल ।

विषय: [illegible]

संदर्भ: 1. [illegible]
2. [illegible]

महोदय,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. क. [illegible]
ख. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

—2—

3. [illegible]
4. स्मारक का उपयोग [illegible] कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
5. [illegible] स्मारक पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
6. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्तें।

भवदीय,

(दीपक [illegible])
उप [illegible] (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. [illegible], नई दिल्ली।
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

(दीपक [illegible])
उप [illegible]

[illegible]

परिशिष्ट P-2

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ सतना, दिनांक

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंधन)
[illegible]

विषय:- [illegible]

संदर्भ:- [illegible] दिनांक [illegible] ।

[illegible] दिनांक 19.12.02 को दी गई [illegible] ।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible] 80 [illegible] ।
7. [illegible]
8. [illegible] 7/3 दिनांक 16-5-03 [illegible] ।
9. [illegible]
10. [illegible]

[illegible]

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सतना

पृ.क्र./मा.चि./ 257 सतना, दिनांक 11/2/04

प्रतिलिपि:-

1. [illegible]
2. [illegible]

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सतना
[illegible]

परिशिष्ट P-3

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region,
केन्द्रीय पर्यावरण भवन
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिंक रोड नं.-3 Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म.प्र.)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
ई-मेल /E-mail: rocfbhopal@gmail.com

क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/ 1805, दिनांक 21-7-2009,

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन
भोपाल।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, बाक्साइट एवं ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत्।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8बी/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2871 दिनांक 18/12/2002
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ-1/152/96/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग पत्रांक एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 06/05/1997 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन/समर्पण का अनुरोध किया गया था।

उक्त वनभूमि को उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, औपचारिक स्वीकृति दी गयी थी। उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अतः केन्द्र सरकार की ओर से 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति आदेश दिनांक 18/12/2002 (संदर्भ संख्या 1) को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन दिया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2 क) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम-नयागांव के खसरा क्रमांक 58/1(पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
ख) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
ग) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

—2

3. उपयोगकर्ता के खर्चे पर, भूमि पर कम लंबाई, चिह्नित और खम्भों की दूरी सहित, आरसीसी खम्भों (कम से कम 4 फिट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर समतलीकरण किया जायेगा। खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहीं पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा तथा उसका reclamation किया जायेगा

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।

6. * वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।

7. प्रस्तावित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

8. राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्तें। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्तें लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।

इस कार्यालय के औपचारिक अनुमोदन पत्रांक एफ/5/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2071 दि. 10/12/2002 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

(सुबोध केसरी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ०सी०), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
5. आदेश पत्रावली।

(सुबोध जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

परिशिष्ट - P - 4

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
केन्द्रीय पर्यावरण भवन
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं0-3 Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर Ravi Shankar Nagar
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
ई-मेल /E-mail: rocfbhopal@gmail.com

शुद्धि पत्र

दि0- 06-01-2010,

क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/ 47

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, बाक्साइट एवं ... खनिजों के उत्खनन हेतु (8.00 हे0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत ।

संदर्भ: 1) इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्र क्र 8बी/435/1997-एफसीडब्लू/2911 दिनांक 19/12/2002
2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्र क्र एफ-1/152/94/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008
3) इस कार्यालय का संशोधित औपचारिक अनुमोदन पत्र क्रमांक 8बी/435/1997-एफसीडब्लू/1808 दिनांक 21/7/2009

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) जिसके माध्यम से प्रकरण में 8.00 हे0 का औपचारिक अनुमोदन दिनांक 19/12/2002 को प्रदान किया गया था । नोडल अधिकारी, म0प्र0 के संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से प्रकरण में 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर दिये जाने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण की अनुशंसा उपरान्त कार्यालय के संदर्भित पत्र (3) के माध्यम से पुनः संशोधित औपचारिक अनुमोदन जारी किया गया ।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (3) द्वारा जारी औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु क्रमांक-5 में "खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी" के स्थान पर **"खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) होगी"** पढ़ा जाए ।

अन्य शर्तें इस कार्यालय के उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन पत्र (3) के अनुसार यथावत रहेंगी ।

भवदीय,

(सुजीत बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि0, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली

(सुजीत बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

परिशिष्ट P-5

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक/ /खनिज/2010/1629 सतना, दिनांक 20.12.2010

प्रति,

वन संरक्षक,
वन मंडल सतना।

विषय– ग्राम पिपरीटोला की खसरा क्र0–203 पी0 नया खसरा क्र0–870पी में स्वीकृत खनि पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में।

—00—

विषयान्तर्गत के संबंध में आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत नवीकरण फार्म बी जो कि ग्राम पिपरीटोला की खसरा क्र0–870 पी के नवीकरण के संबंध प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन मूलतः 06 प्रतियों में आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 06 नग फार्म बी।

खनि अधिकारी
हेतु कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)

परिशिष्ट P-6

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत [illegible] प्रस्ताव की अभिस्वीकृति

आवेदक / संस्थान शरद कुमार [illegible] ग्रा.पो. [illegible] जिला [illegible] (म.प्र.)
को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत [illegible] वनमण्डल [illegible]
परियोजना [illegible] ग्राम [illegible] क्रमांक 230 [illegible] रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर
हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव दिनांक 22-1-13 को प्राप्त हुआ एवं
इस प्रस्ताव का पंजीकरण नम्बर 11/STA/[illegible]/13/61 है।

आवेदक से पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 5000 + 25000/- कुल राशि 30000/-
की राशि ड्राफ्ट / चैक नम्बर 823664 दिनांक 18-1-2013 द्वारा [illegible] (खाता क्रमांक [illegible])
दिनांक — — शासन के पक्ष में खजाना एवं ~~[illegible]~~
नम्बर — दिनांक 11-1-13 से जमा करा दिया गया है।

पंजीयन क्रमांक 11/STA/[illegible]/13/61
दिनांक 31-1-2013

मुख्य वन संरक्षक
[illegible]

पृष्ठा./क्रमांक/[illegible]/ 806 दिनांक 31-1-13
प्रतिलिपि–

1. आवेदक संस्थान शरद कुमार [illegible] ग्रा.पो. [illegible] जिला [illegible] (म.प्र.)
2. वनमण्डलाधिकारी [illegible] वनमण्डल [illegible] की ओर सूचनार्थ।
[illegible]
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
[illegible]

—परिशिष्ट P-7

कार्यालय वन मण्डल, सतना, मध्यप्रदेश

क्रमांक/मा.चि./ सतना, दिनांक / / /2013

प्रति,

मुख्य [illegible]

[illegible]

विषय:- ग्राम [illegible], तहसील [illegible] जिला सतना के अन्तर्गत [illegible] के अन्तर्गत [illegible] हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पृष्ठांकन क्रमांक/[illegible]/800 दिनांक 31.01.2013

—०००—

आपके संदर्भित पत्र द्वारा [illegible] हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। [illegible] आपकी ओर [illegible] हेतु [illegible] है।

संलग्न:- उपरोक्त [illegible] प्रतियाँ में।

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी

वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ 5231 सतना, दिनांक 26/10/2013

प्रतिलिपि:-

[illegible] की ओर [illegible] सूचनार्थ।

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी

वन मण्डल सतना

E:\Sheetal\6-7-2013\official\3 M\Memo 2013.doc450

परिशिष्ट P-8

कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)

[illegible]
Fax-[illegible] E-mail:[illegible]

क्रमांक/मा.चि./7212 रीवा, दिनांक 12-11-13

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- ग्राम [illegible], तहसील मझगवां, जिला सतना, परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी-470 रकबा 4.000 हेक्टेयर वन भूमि में [illegible] के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंसल [illegible] पोस्ट [illegible] जिला सतना को नवीनीकरण हेतु उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:- वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/ मा.चि./2220, दिनांक 29-10-2013

—00—

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम [illegible], तहसील मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी-470 रकबा 4.000 हेक्टेयर वन भूमि में [illegible] के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंसल [illegible] पोस्ट [illegible], जिला सतना को नवीनीकरण हेतु उपयोग पर दी जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

आवेदक संस्थान मेसर्स शरद कुमार बंसल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नवीनीकरण प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण हेतु मय पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./906 दिनांक 31.01.2013 के द्वारा पंजीयन क्रमांक 11/STA/MJM/13/01 दिनांक 31.01.2013 से रकबा 4.000 हेक्टेयर का पंजीयन किया जाकर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु भेजा गया था।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना ने प्रश्नाधीन नवीनीकरण प्रस्ताव में आवेदक संस्थान से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर अपने अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक संस्थान मेसर्स शरद कुमार पंडित ने नवीनीकरण का प्रस्ताव में सभी संलग्न पत्रों एवं अभिलेखों में हस्ताक्षर कर मूल पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है जिसमें वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

अतः वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त नवीनीकरण प्रस्ताव वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के विचारार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- नवीनीकरण प्रस्ताव 3 प्रति में।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/ रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/3220 दिनांक 25.10.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2- मेसर्स शरद कुमार पंडित ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला सतना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा (म0प्र0)

परिशिष्ट पी-3

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/3670 भोपाल, दिनांक 02-12-13

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
रीवा वृत्त रीवा
मध्यप्रदेश।

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड जगिहटा के कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.800 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट फायर क्ले ओकर्स के उत्खनन पट्टा नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./7212 दिनांक 12.11.2013

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में कमियां पाई गई है, जो निम्नानुसार है:-

1. प्रकरण पर पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 06.03.2003 द्वारा खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष के लिए जारी की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2010 से शुद्धि पत्र जारी कर औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या 06 में संशोधन कर खनन पट्टे की अवधि 19.12.2002 से 18.12.2012 तक (10 वर्ष) की गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रकरण की स्वीकृत अवधि 18.12.2012 को समाप्त हो गई थी, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत किया गया है इस विलम्ब के कारणों का कोई औचित्य भी नहीं बताया गया है, जबकि भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वीकृत प्रस्ताव अवधि समाप्त होने के 01 वर्ष पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

2. प्रस्ताव में संलग्न 1:50,000 की स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इन्डेक्स में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, टाईगर रिजर्व, वन्यप्राणी कॉरिडोर, आवागमन तथा पहाड़ एवं 10 कि.मी. की परिधि में स्वीकृत प्रकरणों को लेख किया गया है, मानचित्र में आवेदित स्थल से उक्त वन्यप्राणियों के क्षेत्रों की दूरी नहीं दर्शाई गई है न ही इन्डेक्स में लेख की गई है। मानचित्र में उक्त वन्यप्राणियों की आवेदित स्थल से दूरी दर्शाई जावे एवं इंडेक्स में अंकित कर संबंधित वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।

3. 1:10000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल जी.पी.एस. रीडिंग तथा सर्वेक्षित इंडेक्स दर्शाया जाकर संबंधित वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव की उक्त कमियों की पूर्ति कर तीन प्रतियों में भेजें। प्रस्ताव आवेदनहीन पत्र दिनांक 05.07.2013 के निर्देश अनुसार वेबसाईट के माध्यम से प्रेषित करें तथा प्रस्ताव की सॉफ्ट कापी तीन प्रतियों में भेजें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन/एफ-1/704/2013/10-11/3671 भोपाल, दिनांक 02-12-13

प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश।
2. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट P-10

कार्यालय वन मण्डल सतना (म0प्र0)

क्रमांक/मानि/

सतना, दिनांक / / /2014

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
रीवा वृत्त रीवा

विषय:- रीवा वृत्त रीवा के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-970 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट, बाक्साइट, ओकर, के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट मैहर जिला सतना।

संदर्भ-अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पृष्ठांकन क्रमांक/3071 दिनांक 02.12.2013।

---000---

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति कर प्रतिवेदन आवश्यकार्थ संप्रेषित है।

क्र.	उठाई गई आपत्ति के बिन्दु	आपत्तियों का पूर्ति प्रतिवेदन
1	प्रकरण पर पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 01.03.2003 द्वारा खनन पट्टा की अवधि 10 वर्ष के लिए जारी की गई थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.01.2010 से शुद्धि पत्र जारी कर औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या 05 में संशोधन कर खनन पट्टे की अवधि 19.12.2002 से 18.12.2012 तक (10 वर्ष) की गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रकरण की स्वीकृत अवधि 18.12.2012 को समाप्त हो गई थी, परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्ताव 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब के कारणों का कोई औचित्य भी नहीं बताया गया है, जबकि भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वीकृत प्रस्ताव अवधि समाप्त होने के 01 वर्ष पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	मेसर्स शरद कुमार बंसल का नवीनीकरण प्रस्ताव कलेक्टर खनिज शाखा सतना के पत्र क्रमांक/1627 दिनांक 26.12.2010 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) इस कार्यालय द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव पत्र क्रमांक/मानचि0/2293 दिनांक 9.4.2011 से मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर प्रेषित किया गया। मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्तियों की पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 30.4.2011 से प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजा गया। नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्तियों की पूर्ति कलक्टर प्रकरण का परीक्षण दिनांक 31.01.2013 को होने के उपरान्त धारा 2 की पूर्ति बाद प्रकरण अंतिम कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 28.10.2013 से वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया। आवेदक द्वारा स्वीकृति अवधि समाप्त होने के 2 वर्ष के पूर्व नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 के स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इन्डेक्स में नेशनल पार्क, अभयारण्य रिजर्व, वन्यप्राणी कॉरीडोर, जम्बूद्वीप सीमान्त प्लाट एवं 10 किमी0 की परिधि में स्वीकृत प्रकरणों को चिन्हित किया गया है, मानचित्र में आवेदित स्थल से उक्त	प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 के स्केल के मानचित्र पर आवेदित स्थल चिन्हांकित कर इंडेक्स में नेशनल पार्क, अभयारण्य रिजर्व, वन्यप्राणी कॉरीडोर, जम्बूद्वीप सीमान्त प्लाट एवं 10 किमी0 की परिधि में स्वीकृत प्रकरणों का लेख तथा आवेदित स्थल से वन्यप्राणियों

	उपयोगिता के क्षेत्र की दूरी नहीं दर्शाई गई है न ही इन्डेक्स में लेख की गई है। मानचित्र में उक्त उपयोगिताओं की आवेदित स्थल से दूरी दर्शाई जावे एवं इंडेक्स में अंकित कर संबंधित वन मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।	से सेवा की दूरी मानचित्र में दर्शाकर लेख तथा इंडेक्स में लेख किया जाकर हस्ताक्षर कर संलग्न है। आवेदित क्षेत्र से बाहर प्रवेश सिवा रामपुर [illegible] क्षेत्र 10 किमी0 की परिधि के अन्दर का क्षेत्र है, जिसे मानचित्र पर अंकित कर दिया गया है।
3	1:15000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की डी०जी०पी०एस० रीडिंग तथा मानचित्र में इंडेक्स दर्शाकर संबंधित वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें।	1:15000 स्केल के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की डी०जी०पी०एस० रीडिंग ली जाकर मानचित्र में तथा इंडेक्स दर्शाया गया है। मानचित्र में पूर्व चिन्हांकित स्थल परिमाप में लिये गये डी०जी०पी०एस० रीडिंग अनुसार चिन्हांकित स्थल से अलग दिखता है। मौके पर पूर्व में स्वीकृति अनुसार क्षेत्र में ही प्रस्तावित स्थल का डी०जी०पी०एस० सीमांकन किया गया और उस नक्शे पर चिन्हांकित किया गया है, जो सही है। इसी अनुसार मानचित्र में अंकित है। पुराना निकासी मार्ग नक्शे में पूर्व से अंकित है। परीक्षण पश्चात् पुराने निकासी मार्ग का ही उपयोग किया जावेगा। मानचित्र में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत है।

प्रस्ताव की उक्त कमियों की पूर्ति कर चार प्रतियों में सामान्य कॉपी के साथ भेजी जा रही है। साथ ही प्रस्ताव निर्देश दिनांक 6.07.2013 के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से भी भेजा जा रहा है।

संलग्न— प्रस्ताव एवं सामान्य कॉपी चार प्रतियों में।

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा०चि०/1095 सतना, दिनांक/18/2/2014

प्रतिलिपि—

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला—सतना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम—पोस्ट जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

D:\New Folder\office\D.M 17-10-2013\Memo 2013.doc450

टाईपिंगिशा 1.1

कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)

केन्द्रीय विद्यालय मार्ग, जवाहर नगर रीवा (म.प्र.) 486001
फैक्स-241688 E-mail cfrewa@mp.gov.in

****

क्रमांक/मा0चि0/ 1200
प्रति,

रीवा, दिनांक 1-3-14

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:— रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-870 में रकबा 4.800 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट बाक्साइट, व्हाईट ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/754/2013/10-11/3670 दिनांक 03.12.2013 एवं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/मा0चि0/1094 दिनांक 19-02-2014

—:00:—

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत परिक्षेत्र मझगवां के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-870 रकबा 4.800 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट बाक्साइट, व्हाईट ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण के भेजे गये प्रस्ताव में उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा कण्डिका की पूर्ति कर बिन्दुवार प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रस्ताव के विषय में संबंध में लेख है कि आवेदक द्वारा खदान के नवीनीकरण प्रस्ताव कलेक्टर खनिज सतना के पत्र क्रमांक/1827 दिनांक 30.12.2010 से वनमण्डलाधिकारी सतना को प्राप्त हुआ था, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, वनमण्डलाधिकारी सतना द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव का परीक्षण एवं परिक्षण कर पत्र क्रमांक/मा0चि0/2253 दिनांक 28.4.2011 से इस कार्यालय को भेजा गया था, जिसका परीक्षणोपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में अधिरोपित शर्त **Reclaimation** एवं अन्य शर्तों के पालन के संबंध में चूंकि नवीनीकरण प्रस्ताव प्रारूप का प्रतिवेदन चाहा गया था। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव का संशोधन दिनांक 31.01.2013 को किया जाकर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना को भाग-2 की पूर्ति हेतु भेजा गया था, प्रस्ताव में भाग-2 की पूर्ति होने के पश्चात अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। प्रस्ताव में भारत सरकार के शर्तों के पालन के संबंध में एवं आपत्तियों की पूर्ति करने में विलंब हुआ है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।
सी.पी. 3 सेट

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/

रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि:—

1— वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/1094 दिनांक 19.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2— मेसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म0प्र0)

परिशिष्ट P-12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/[illegible]/2013/10-11/1039 भोपाल, दिनांक 25-11-14

प्रति

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
रीवा वृत्त रीवा
मध्यप्रदेश।

विषय:- रीवा वृत्त के [illegible] के परिक्षेत्र [illegible] के [illegible] के कक्ष क्रमांक पी-[illegible] में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट, बाक्साइट [illegible] की खदान के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव- मेसर्स शरद कुमार [illegible], मुकाम-पोस्ट [illegible] जिला सतना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./मा.चि./7212 दिनांक 12.11.2013 एवं पत्र क्र./1203 दिनांक 01.03.2014.

—0—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक [illegible] से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित [illegible] का [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] प्रकरणों में [illegible] के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के पालन हेतु मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-[illegible]/[illegible]/10-1 दिनांक [illegible] (प्रति संलग्न) से [illegible] एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश को लेख किया गया है।

अतः भारत सरकार के पत्र अनुसार विषयांकित प्रकरण में भी उक्त निर्देशानुसार संबंधित कलेक्टर का [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] इस कार्यालय को भेजें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ-1/[illegible]/2013/10-11/1039 भोपाल, दिनांक 25-11-14

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी, [illegible] मध्यप्रदेश।
2. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स शरद कुमार [illegible], मुकाम-पोस्ट [illegible] जिला सतना।

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

क्रमांक /मा0चि0/ 5100 सतना, दिनांक /27/ 8/2014

प्रति,

मैसर्स शरद कुमार बंसल
मुख्तार पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

विषय—रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना की परिक्षेत्र मझगवां की वनखण्ड धनिहरा के कक्ष क्रमांक पी-[illegible] में रकबा 4.800 हेक्टेयर वनभूमि में लेटराईट खनिज, [illegible] के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव— मैसर्स शरद कुमार बंसल मुख्तार पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ— 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा0चि0/3232 दिनांक 22.5.2014।
2. मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा का पत्र क्रमांक/मा0चि0/3250 दिनांक 26.5.2014।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर का उपरोक्त प्रमाण पत्र नवीन संशोधित प्रारूप में भेजने हेतु लेख किया गया था। आपके द्वारा नवीन संशोधित प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्राप्त कर इस कार्यालय में [illegible] नहीं किया गया है।

मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा के संदर्भित पत्र में [illegible] के सम्बन्ध में नवीन संशोधित प्रमाणपत्र कलेक्टर जिला सतना से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। अतः कलेक्टर जिला सतना से नवीन संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को अग्रेषित किया जा सके।

वन संरक्षक
एवं पदेन वन मण्डल अधिकारी
[illegible]

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/ सतना, दिनांक/ / /2014

प्रतिलिपि—

मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी
वन मण्डल,सतना

G:\Shri\[illegible]\D.M 17-10-2013\MEMO 2014.docx

परिशिष्ट P-10

प्रेषक– शरद कुमार बंसल
पो०–तौराबार, जिला सतना
(म०प्र०) 485221

दिनांक–23.10.2014

प्रति,
श्रीमान वनसंरक्षक महोदय
वन मंडल, सतना
जिला सतना (म०प्र०)

विषय– रीवा वृत्त के अन्तर्गत सतना के परिक्षेत्र मझगवां की ग्राम [illegible] के कक्ष क्रमांक पी–370 में रकबा 4.800 हे० वन भूमि में लेटराइट, व्हाइट क्ले, ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव–मेसर्स शरद कुमार बंसल, ग्रा०–पो०, तौराबार, जिला सतना (म०प्र०)

संदर्भ– 1. कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्र०/एफ–1/704/2013/10–11/1038, दिनांक 28.04.2014।
2. आवेदक का पत्र दिनांक 28.04.2014 एवं 09.09.2014 जो श्रीमान कलेक्टर महोदय को संबोधित है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र० 01 जिसमें वनभूमि प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सक्षम कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित संबंधित दस्तावेज मांगा गया है। आवेदक ने अपने संदर्भित पत्र क्र० 02 दिनांक 28.04.2014 द्वारा उपरोक्त आशय के प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु लेख किया था एवं पुनः दिनांक 09.09.2014 को स्मरण पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत किया था।

अतः कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 16.10.2014 को प्रमाण–पत्र क्र० 02बी/121/14–15 जारी किया गया है, जो संलग्न प्रेषित है।

कृपया अग्रिम वांछित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– प्रमाण–पत्र मूल प्रति एवं 4 छायाप्रतियों में।

भवदीय

शरद कुमार बंसल

प्रतिलिपि– 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, जिला रीवा (म०प्र०)
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)

कार्यालय वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

क्रमांक/मा.चि./ सतना, दिनांक / / /2014

प्रति,

मुख्य कार्यपालक

[illegible] रीवा।

विषय- [illegible] वनमण्डल सतना [illegible] क्रमांक पी-[illegible] हेक्टेयर वन भूमि [illegible]

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3250 दिनांक 26.8.2014।

आपके [illegible] वनमण्डल सतना [illegible] हेक्टेयर वन भूमि [illegible] दिनांक 12.8.2014 [illegible] 2006 [illegible] निर्देशित किया गया है।

[illegible] दिनांक 20.10.2014 [illegible]

संलग्न- उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र।

वनमण्डलाधिकारी

एवं पदेन उप वनसंरक्षक अधिकारी

वन मण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ 3160 सतना, दिनांक / / /2014

प्रतिलिपि:-

1. [illegible] मुख्य [illegible] की ओर [illegible] सूचनार्थ [illegible]

संलग्न- उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र

2. [illegible] की ओर सूचनार्थ।

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी

वन मण्डल सतना

E:\Website\OLD 17-10-2013\MEMO 2014.docx483

एवं निर्देश-P-1

कार्यालय वन वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/मा.चि./ [illegible]

रीवा, दिनांक

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के [illegible] अधिसूचित [illegible] की [illegible] समिति के कक्ष क्रमांक पी-270 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट, बाक्साइट, [illegible] के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव-मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुख्तार-[illegible] जिला सतना।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/1039 दिनांक 25.04.2014 एवं वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/ मा.चि./7139 दिनांक 01-11-2014

--०--

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत [illegible] की [illegible] समिति के कक्ष क्रमांक पी-270 रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराइट बाक्साइट [illegible] के उत्खनन नवीनीकरण के [illegible] प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.07.2013 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि अपवर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत [illegible] का [illegible] प्रमाण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न कर [illegible] एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 7200 रीवा, दिनांक 25-11-15
प्रतिलिपि:-

1- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./7139 दिनांक 01-11-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2- मेसर्स शरद कुमार बंसल मुख्तार [illegible] जिला सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा (म.प्र.)

परिशिष्ट P-17

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

जिलाध्यक्ष

जिला-सतना, मध्यप्रदेश।

विषय:-रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां के वनखण्ड पनिहार के कक्ष क्रमांक पी-670 में रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में लेटराईट, बाक्साईट, क्ले ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव-मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट पोंडी जिला सतना।

—0—

उपरोक्त विषयांकित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवश्यक हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक रीवा के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। किन्तु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जारी द्वारा जारी प्रमाण एवं भारत सरकार द्वारा जारी नवीन प्रपत्र Annexure-II, FORM-II में प्रस्तुत किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न) परन्तु प्रपत्र के बिंदु क्रमांक-II के अनुसार जिला स्तरीय समिति के अभिलेख एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं जो कि अति आवश्यक है।

अतः लेख है कि जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि विचाराधीन प्रकरण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ-1/704/2013/10-11/355 भोपाल, दिनांक 25.11.14

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर उनके पत्र क्रमांक/मानचि/7199 दि. 25.11.2014 के संदर्भ में लेख है कि उपरोक्तानुसार जिलाध्यक्ष जिला सतना से जिला स्तरीय समिति एवं उप खण्ड स्तरीय समिति के अभिलेख प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को भिजवावें।
2. वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश।
3. जिलाध्यक्ष [illegible] सतना जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
4. मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम-पोस्ट पोंडी जिला सतना।

[illegible] 25.11.2014 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट P-18

मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/1452/2329/2016/10-3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर, 2016

प्रति,

श्री गिरीश सक्सेना
वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110001

विषय : ग्राम पिपरीटोला एवं मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्र0 पुराना पी 203/नया पी 670, रकबा 4.60 हे0 वनभूमि में लेट्राइट, बाक्साइट, ओकर्स के उत्खनन हेतु मैसर्स शरद कुमार बंसल, मु-पो0 जैतवारा, जिला सतना को उपयोग पर देने बाबत।

--00--

विषयांकित प्रकरण में श्री शरद कुमार बंसल, मु./पोस्ट जैतवारा, जिला सतना से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2016 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न है, जिसमें उनके द्वारा खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रावधानों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01.04.2015 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें स्वीकृत खनिपट्टा की अवधि 50 वर्ष मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-00

(i) श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम/पोस्ट जैतवारा, जिला-सतना को ग्राम पिपरीटोला तहसील मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्र0 पुराना पी 203/नया पी 670, रकबा 8.00 हे0 वनभूमि में लेट्राइट, बाक्साइट एवं ओकर्स के उत्खनन की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8बी/म.प्र./435/1997-FCW/2971 दिनांक 19.12.2002 से प्रदान की गई थी, जिसमें से 3.40 हेक्टेयर क्षेत्र आवेदक द्वारा समर्पण कर शेष 4.60 हेक्टेयर क्षेत्र भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8बी/म.प्र./435/1997-FCW/2971 दिनांक 21.07.2009 से संशोधित किया गया।

(ii) उक्त स्वीकृत क्षेत्र के लिये आवेदक द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 28,79,600.00 की वनमण्डलाधिकारी, सतना के कार्यालय में जमा कराई गई थी, जिसके उपरान्त कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(iii) उक्त खनिपट्टा क्षेत्र दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक 10 वर्षों के लिये स्वीकृत था, जिसमें आवेदक द्वारा माईनिंग का कार्य किया गया।

(iv) आवेदक द्वारा नवीनीकरण का आवेदन अवधि समाप्त होने के पूर्व नियमानुसार कलेक्टर खनिज शाखा के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके द्वारा दिनांक

23.12.2010 को वन संरक्षण सहमति को प्रेषित किया गया, जो आज दिनांक तक विचाराधीन है।

(v) आवेदक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 01.04.2015 के पैरा-2 का संदर्भ देते हुये लेख किया गया है कि ऐसे समस्त प्रकरण जो नवीनीकरण हेतु विचाराधीन है कि उनकी खनिज मूल पट्टा अनुसार ही 30 वर्ष के लिये मान्य किया गया है। साथ ही भारत का राजपत्र जो 12.01.2015 को प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार समस्त खनिपट्टों की अवधि मूल स्वीकृति से 50 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा S.B. CIVIL W.P. NO. 12767 of 2015 निर्णय दिनांक 18.12.2015, मेसर्स [illegible] विरुद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य के मामले में दिये गये निर्णय की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें 50 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति के आदेश दिये गये है।

(vi) आवेदक द्वारा लेख किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के पूर्व में ही उन्हें स्वीकृति प्राप्त है तथा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि भी जमा की गई है। अतः स्वीकृत खनिपट्टे की अवधि मूल स्वीकृत दिनांक से 50 वर्ष [illegible] माइनिंग कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे प्रार्थी को खनिपट्टा की अवधि का नुकसान न हो।

2/ उपरोक्तानुसार आवेदक का प्रकरण वर्षो तक नवीनीकरण हेतु लंबित है। भारत का राजपत्र, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 जो 12.01.2015 को प्रकाशित हुआ है, उसके प्रावधान अनुसार समस्त खनिपट्टों की अवधि 50 वर्ष की गई है, साथ ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-61/2015/एफ.सी. दिनांक 01.04.2015 के पैरा-2 एवं जारी दिशा-निर्देश 01.05.2015 में उल्लेख अनुसार समस्त खनिपट्टों को जिनका कि नवीनीकरण में उनकी मूल स्वीकृति दिनांक अवधि से 50 वर्ष की अवधि मान्य की गई है। इस प्रकार आवेदक का खनिपट्टा उसकी मूल स्वीकृति दिनांक अवधि से 50 वर्ष मान्य करने योग्य है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 01.04.2015 एवं 01.05.2015 के अनुसार में उक्त खनिपट्टे की अवधि को विस्तारित (EXTEND) माना जावे अथवा नहीं कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल दिनांक 27 दिसम्बर 2016

पृ.क्र./[illegible]/2329/2016/10-3
प्रतिलिपि:-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावास भवन, लिंक रोड नं-3 रविशंकर नगर भोपाल की ओर आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित प्रेषित है।

2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
4. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश
5. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना, मध्यप्रदेश
6. वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी [illegible] मध्यप्रदेश
7. श्री शरद कुमार बंसल, पोस्ट [illegible] जिला-[illegible] मध्यप्रदेश, 489221

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट P-13

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ–25–1/2017/10–3 भोपाल, दिनांक जनवरी 2017

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना
वरिष्ठ सहायक महानिरीक्षक, (एफ.सी.)
भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110001

विषय— ग्राम पिपरीटोला तह० मझगवां, जिला सतना के परिक्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत कक्ष क्र० पुराना पी 203/नया पी 870, रकबा 4.80 हे० वनभूमि में लेटराइट, व्हाईट क्ले, ओकर्स के उत्खनन हेतु मेसर्स शरद कुमार बंसल, ग्रा०–पो० जैतवारा, जिला सतना को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ— इस विभाग पत्र क्रमांक 1452/3329/2016/10–3 दिनांक 27.09.2016.

—0—

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ विषयांकित प्रकरण में आवेदक श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला–सतना के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2016 की छायाप्रति सहपत्रों सहित इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 27.09.2016 (छायाप्रति संलग्न) से प्रेषित कर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11–61/2015–एफसी दिनांक 01.04.2016 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में खनिपट्टे की अवधि को विस्तारित (Extend) मान्य की जाकर आवश्यक मार्गदर्शन चाहा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

3/ आवेदक महोदय द्वारा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 06.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित कर प्रकरण में शीघ्र निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस विभाग के पत्र दिनांक 27.09.2016 के संदर्भ में सुसंगत भारत सरकार का अभिमत शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जा सके।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ–25–1/2017/10–3 भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
6. वन संरक्षक कार्य आयोजना, सतना, मध्यप्रदेश।
7. मेसर्स शरद कुमार बंसल, ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला–सतना, मध्यप्रदेश 485221.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट P-20

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) शाखा जिला सतना (म0प्र0)

क्र./वन अधि./जनजातीय/2017-18/ 6482 सतना, दिनांक 12/03/2018

प्रति,

श्री शरद कुमार बंसल
निवासी ग्राम पीपरटोला तहसील बिरसिंहपुर
जिला सतना (म0प्र0)

विषय:- ग्राम पिपरीटोला तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के 4.60 हे. वन क्षेत्र पर ओकर, फायर क्ले, लेटराइट का उत्खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुमति बावत्।

—::00::—

सूचना विषयांकित के संबंध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा संस्थान शरद कुमार बंसल द्वारा ग्राम पिपरीटोला तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के 4.60 हे. वन क्षेत्र पर ओकर, फायर क्ले, लेटराइट का उत्खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त परियोजना निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि का कुल योग 4.60 है. वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख संस्थान द्वारा किया गया है। तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है।

अतः जिला समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.02.2018 में पारित किया गया है। तत्पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया। जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण उपखंड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं जिला स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग
जिला सतना(म0प्र0)

पृष्ठा.क्र0/वन अधि./जनजातीय/2017-18/ 6483 सतना, दिनांक 12/03/2018

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर जिला सतना।
2. वन संरक्षक एवं वनमंडल अधिकारी जिला सतना की ओर सूचनार्थ

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग
जिला सतना(म0प्र0)

परिशिष्ट R-2

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

E-mail-dfosatna@mp.gov.in

Phone-07672-223355

क्रमांक /मानचि/ 305/

प्रति,

सतना, दिनांक /2/4 /2018

मुख्य वनसंरक्षक
रीवा वृत्त रीवा

विषय– रीवा वृत्त के वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र नागौद के वनखण्ड प्रतिहारा के कक्ष क्रमांक पी–870 में रा. 4.800 हेक्टेयर वनभूमि में लेटराईट बाक्साइट, आयरन ओकर्स के उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव मैसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम पोस्ट जैतवारा जिला सतना।

संदर्भ– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–1/ 704/ 2013/10–11/254 दिनांक 24.01.2015।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल के संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जारी प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नवीन प्रपत्र Annexure-II, FORM-II में प्रपत्र के बिन्दु क्रमांक–ए के अनुसार जिला स्तरीय समिति के अभिलेख उपखण्ड स्तरीय समिति के अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं, जो अति आवश्यक है। जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग जिला सतना के पत्र क्रमांक/8482 दिनांक 12.03.2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण, उपखण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण एवं जिला स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवेदक श्री शरद कुमार बंसल जैतवारा को प्रदाय किया गया है। श्री शरद कुमार बंसल जैतवारा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 14.03.2018 से उपरोक्त अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है।

अतः जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के तहत हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अभिलेख एवं Annexure-II, FORM-II आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मानचि/
प्रतिलिपि–

सतना, दिनांक/ / /2018

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Sd/-
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\DLM 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015\Memo\2018.docx

परिशिष्ट P-22

कार्यालय [illegible] मुख्य [illegible] (म.प्र.)

क्रमांक / [illegible]

प्रति

[illegible]

[illegible]

[illegible] (म.प्र.)

विषय:- [illegible]

संदर्भ:- [illegible]

[illegible]

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

[illegible]

पृ.क्रमांक / [illegible]

प्रतिलिपि:- [illegible] दिनांक 02.04.2018 [illegible]

[illegible]

परिशिष्ट P-23

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33690/2018/ 1534   भोपाल, दिनांक 25-5-19

प्रति,

श्री शरद कुमार बंसल,
पो.ओ. पीतवास, जिला-सतना,
मध्य प्रदेश।

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रस्ताव के संबंध में - Renewal of Mining of Ocre, White clay & Granite Open Cast Mine (4.6 ha.)

--0--

विषयांकित प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव के फार्म-बी का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई है:-

1. अनुक्रमांक A-5 कॉलम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा पूर्व में प्रदाय की गई औपचारिक अनुमति पत्र में अधिरोपित शर्तों को एवं शर्तों के पालन की जानकारी भरी नहीं गई है।
2. अनुक्रमांक H-(i) कॉलम में पर्यावरणीय अनुमति पत्र की जानकारी भरी नहीं गई है।
3. अनुक्रमांक M-2(i) कॉलम में माईनिंग प्लान अनुमोदित होने की तिथि त्रुटिपूर्ण है।
4. अनुक्रमांक M-2(ii) कॉलम में माईनिंग प्लान अनुमोदित होने का पत्र अपलोड नहीं किया गया है। गो डाटा सेव है।
5. अनुक्रमांक M-2(vi) कॉलम में प्रस्तावित उपयोग के प्लान की विस्तृत जानकारी 1:4,000 स्केल के मानचित्र में दर्शाया जाकर जी.पी.एस. रीडिंग सहित मानचित्र अपलोड नहीं किया गया है।
6. अनुक्रमांक M-4(i), M-5.1, M-5.2 कॉलम में पूर्वेक्षण कार्य करने की जानकारी भरी नहीं गई है।
7. अनुक्रमांक M-7(ii) में खनिज परिवहन के लिये मार्गों की विस्तृत जानकारी तथा सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में मार्गों को दर्शाने वाला मानचित्र अपलोड नहीं किया गया है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव शीघ्र ऑनलाईन इस कार्यालय को भिजवायें, जिससे कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner

—परिशिष्ट P-24

Gmail shrad kumar bansal <bkujtw@gmail.com>

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in> Thu, Jun 7, 2018 at 2:50 PM
To: bkujtw@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No.	:	FP/MP/MIN/33080/2018
2. Proposal Name	:	Renewal of Mining reserve of Ochre, White clay & Laterite
3. Category of the Proposal	:	Mining
4. Date of Submission	:	07/06/2018
5. Name of the Applicant with Contact Details		
Name	:	Sharad
Mobile No.	:	9425330497
State	:	Madhya Pradesh
District	:	Satna
Pincode	:	485221
6. Area Applied (ha.)	:	4.8

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administration)

परिशिष्ट P-25

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

E-mail-dfosatna@mp.gov.in

Phone-07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/8170

सतना, दिनांक /7/8/2018

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
रीवा वृत्त रीवा

विषय- जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी-203 (न. पी-870) में रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0)।

संदर्भ- नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल से प्राप्त ऑन लाइन प्रकरण दिनांक 12.06.2018।

नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल से प्राप्त ऑन लाइन प्रकरण दिनांक 12.06.2018 से जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी-203 (नया पी-870) में रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0) भाग-2 की पूर्ति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त ऑन लाइन प्रकरण की भाग-2 की पूर्ति की जाकर ऑन लाइन प्रकरण आपकी ओर प्रेषित किया गया है तथा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 5 प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/ सतना, दिनांक/ / /2018
प्रतिलिपि:-

आवेदक श्री शरद कुमार बंसल मु0पो0 जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015\Memo 2018.docx

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना म0प्र0

dfosatna@mp.gov.in

DFO Inspection Report

Name of the Project :- Ochre, White Clay, Lateritic Opencast Mining

Name of District/Division :- Satna

Name of Forest Range :- Majhgawan, Block-Chhanihara, Beat-Pipariola.

Forest Compartment No. :- P-203 (old), P-870 (new)

Date:- 01/08/2018

Sr. no.	Particular	Inspection Report By CCF/DFO(T)
1	Extent in hectares.	Forest land - 4.60 Hect.
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Point / Longitute / Latitute: A — N24°50'40.5" — E080°55'06.4" B — N24°50'40.5" — E080°55'[illegible]5.9" 1 — N24°50'42.8" — E080°55'[illegible].8" 2 — N24°50'46.7" — E080°55'16.0" 3 — N24°50'50.7" — E080°55'15.5" 4 — N24°50'49.3" — E080°55'08.8" 5 — N24°50'50.0" — E080°5[illegible]
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land).	संरक्षित वन क्षेत्र
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	आवंटित क्षेत्र का मौके पर वन-विभाग द्वारा डी.जी.पी.एस. द्वारा सर्वे किया गया है।
5.	Any signs of encroachment.	नहीं
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user Agency in case of violation of the FC Act and Guidelines there under.	नहीं
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	नहीं
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र नहीं है।
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	नहीं
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not, why?	ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र आरक्षित है।
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	नहीं

12.	Any dependent persons/families on this land	नहीं
13.	Any displacement of persons proposed.	नहीं
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting ?	नहीं
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than 10 kms.	पूर्व में प्रकरण में 8 है० की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है जिसकी [illegible] 18 दिसम्बर 2012 प्राप्त थी। जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आवेदक संस्थान द्वारा 8 है० वन भूमि के बदले [illegible] 8 है० गैर वन भूमि प्रदान की जा चुकी है। जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है। उक्त गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना दिनांक 17.02.2003 को किया जा चुका है। [illegible] प्रकरण 4.60 है० नवीनीकरण का है जिसमें [illegible] भूमि एवं वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance form the boundary of the nearest protected area should be more then 10 kms.	नहीं
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in the area.	[illegible] का प्रमाण पत्र संलग्न है।
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project.	नहीं है
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	अधिरोपित शर्तों का पालन पूर्ण रूप से किया गया है।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	कोई विकल्प नहीं है।
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक संस्थान के द्वारा वन क्षेत्र का उपयोग न्यूनतम है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	नहीं
23.	Any other issue of significance.	कुछ नहीं है।
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	[illegible] के अन्तर्गत प्रस्तावित [illegible] 4.60 है० का [illegible] अधिनियम, 1980 के तहत [illegible] उपयोग के लिये नवीनीकरण का प्रस्ताव है। स्वीकृति किया जाना [illegible]

[illegible] क्षेत्राधिकारी
[illegible]

4/7/2018
उपप्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट
[illegible]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
Divisional Forest Officer
[illegible]
Place
Date 01/08/2018

Recommendation of DFO

सतना जिले के वनमण्डल सतना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी–203 (नया 870) रकवा 4.600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण का प्रस्ताव ऑन लाइन प्राप्त हुआ था, जिसमें ऑन लाइन भाग–2 की पूर्ति उपरान्त वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां कक्ष क्रमांक पी–203 (नया 870) में नवीनीकरण के प्रस्ताव 4.600 हेक्टेयर में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट के उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला सतना का प्रकरण अनुशंसित है।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

परिशिष्ट P-26

कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

[illegible]
Fax-[illegible], E-mail- [illegible]@mp.gov.in, Ph-[illegible]

क्रमांक/मा0चि0/8110 रीवा/दिनांक 23-08-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0

विषय– जिला सतना में तहसील मझगवां के ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पुराना पी–203(नया पी–570) में रकबा 4.000 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, लाइट व लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रस्ताव आवेदक शरद कुमार बंसल ग्रा. जैतवारा, जिला सतना (म0प्र0)

सन्दर्भ– वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना का पत्र क्रमांक/मा0चि0/8170 दिनांक 07.08.2018

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा संदर्भित पत्र से आन लाईन प्राप्त प्रकरण की परीक्षणोपरान्त समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जाकर प्रकरण आन लाईन एवं हार्ड कापी में इस कार्यालय को भेजा गया है जिसकी इस कार्यालय द्वारा भी आन लाईन पूर्ति की जाकर हार्ड कापी आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन/क्रमांक/मा0चि0/ रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि– (1)वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/8170 दिनांक 07.08.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2)श्री शरद कुमार बंसल मु0पो0 जैतवारा जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	प्रस्ताव पत्र की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें		जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		सतना जिले के वनमण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी–203(नया 870) रकबा 4.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोस्ट पीतबारा जिला सतना का वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसित है।

तिथि : 08.2018
स्थान: रीवा

हस्ता/- वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

Recommendation of CCF

सतना जिले के वनमण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्रमांक पी–203(नया 670) रकबा 4.600 हैक्टेयर वनक्षेत्र में ओकर, व्हाइट क्ले एवं लेटराइट उत्खनन के नवीनीकरण प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति किये जाने हेतु आवेदक शरद कुमार बंसल ग्राम पोस्ट जैतवारा जिला सतना का वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म0प्र0)

परिशिष्ट P-27

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2018/ भोपाल, दिनांक

द्वारा –

सुनीता अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय– वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (नया) रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा जिला सतना का प्रस्ताव।

-0-

मुख्य वन संरक्षक, रीवा के पत्र क्रमांक 5110 दिनांक 23.8.2018 से निम्नांकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, सतना (जिला) म.प्र. द्वारा वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां के ग्राम पिपरीटोला कक्ष क्र. पी.एफ.- 870 नया के रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (2) नियम, 2003 के अंतर्गत नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है–

(i) वन भूमि –

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टे. में)
				पुराना	नया	
सतना	मझगवां	पिपरीटोला	संरक्षित	PF-203	PF-870	4.600
					योग-	4.600

2. श्री शरद कुमार बंसल द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 की औपचारिकताएं पूर्ण की गई है।
3. प्रस्ताव वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018 ऑनलाईन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
4. आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा 1:50000 स्केल के सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित खदान स्थल दर्शाकर भागांकित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
5. आवेदक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डिजीटल जियोरेफरेन्स मानचित्र व अक्षांश/देशान्तर की डिजिटल फाइल का भागांकित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

6. आवेदक द्वारा परियोजना के कास्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

7. आवेदक द्वारा उक्त परियोजना के कार्य की भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र. J-11015/234/2005-IA-II(M) दिनांक 01/08/2005 से प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

8. आवेदक द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित कलेक्टर सतना द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र क्र. 6482 दिनांक 12/03/2016 की प्रति सहपत्रों सहित प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

9. आवेदक द्वारा प्रस्ताव में मेसर्स बलराम सिंह एसोसिएट प्रा.लि. मैहर जिला सतना द्वारा द्वारा वर्ष 2011-12 में तैयार की गई खनन योजना की प्रति प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

10. खनन योजना अनुमोदित होने का भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय, जबलपुर के पत्र क्र. MP/Satna/Latarta/ M.Sch.-19/11-12/ 2733 दिनांक 10/10/2011 की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

11. नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।

12. प्रस्तावित वन क्षेत्र से किसी व्यक्ति या परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है।

13. वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा फार्म-बी के भाग-2 में प्रस्तावित वनक्षेत्र की इको-क्लास 3 तथा वनक्षेत्र का घनत्व 0.1 अंकित है।

14. प्रस्तावित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की संख्या निरंक है।

15. आवेदक द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम की गई है।

16. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर अन्तर्गत नहीं आता है।

17. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।

18. प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।

19. प्रस्तावित वन क्षेत्र के अंतर्गत कोई पुरातात्विक स्थल/ऐतिहासिक स्मारक/धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं है।

20. प्रस्तावित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

21. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना प्रतिवेदित नहीं है।

22. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 8C/5/435/1993-FC दिनांक 21/07/2009 से रकबा 4.600 हे. वनक्षेत्र लेटराइट, फायर क्ले, व ओकर्स 10 वर्ष की अवधि में उत्खनन हेतु श्री शरद कुमार बंसल को शर्तों के आधार पर औपचारिक अनुमति प्रदान की गई थी।

23. भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक द्वारा फार्म-डी में भरा गया है तथा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

24. प्रस्तावित प्रस्ताव नवीनीकरण का होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है, क्योंकि आवेदक द्वारा पूर्व में ही सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम- नयागांव के खसरा क्र. 86/1 (पार्ट) में वैकल्पिक वृक्षारोपण रोपण हेतु रकबा 8.00 हे. गैरवनभूमि वन विभाग को दी जा चुकी है, जिसे म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 फरवरी 2003 में अधिसूचित किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

25. वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा प्रस्तावित नवीनीकरण वनक्षेत्र का दिनांक 01/8/2018 को किये गये स्थल निरीक्षण का 24 बिन्दुओं पर आधारित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01/08/2018 प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

26. प्रस्तावित प्रस्ताव के भाग-2 में वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा ओपन कास्ट पद्धति से लेटराइट, फायर क्ले व ओकर्स उत्खनन हेतु रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि आवेदक श्री शरद कुमार बंसल को नवीनीकृत कर उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है।

27. प्रस्तावित प्रस्ताव के भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा रकबा 4.600 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से लेटराइट, फायर क्ले, व ओकर्स उत्खनन की नवीनीकरण की अनुमति देने की अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार
(प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीय

5/10/18

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN-33660/2018/3112 भोपाल, दिनांक 5-10-18

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, (सा.) वन मंडल सतना, मध्य प्रदेश।
3. श्री शरद कुमार बंसल, गु.पो. जैतवारा जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/10/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट P-28

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhawan"
लिंक रोड नं.-3 Link Road No. 3
E-5, अरेरा कॉलोनी Ravi Shankar Nagar
भोपाल (म.प्र.)/Bhopal-462016 (M.P.)
Phone No. 0755-2466525, 2465496
फैक्स / Fax No. 0755-2463102
ई-मेल/E-mail: rowbpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-MPC 066/2018-BHO/ 652
दि. 3/12/18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: सतना जिले के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम- [illegible] के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (ग्राम) 4.800 हे. [illegible] की शरद कुमार [illegible] को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ: आपका कार्यालय का पत्र क्रमांक F-1/FP/MP/MIN/3366/2018/3111 dated 5/10/18.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण प्रेषित करने का कष्ट करें-

1) The original proposal was of Compartment No. PF-203 and at present it is in Compartment No. PF-870. The fact needs to be supported by the approved working plan changes or notification, which is applicable.
2) The FCA approval for 4.8 ha was valid upto 18/12/2012 and the case was forwarded to this office for renewal after gap of 6 years. Therefore, status of the land during these 6 year along with the possession of land needs to be submitted to this office.
3) A certified copy of valid mining lease as on 8/10/2018 may kindly be submitted.
4) The DSS analysis shows the proposed area to be 0.58 ha short of 4.60 ha. So, correct area KML along with the approach road shall be submitted & uploaded on e-portal.
5) The DSS analysis shows the presence of [illegible] over 3 ha. State Govt. need to justify the [illegible] with detail tree enumeration list and site photographs.
6) The State Govt. certified that CA was carried out on 8.00 ha of non-forest land of Khasra No. 90/1 (Part). However, the Satellite images does not shows any plantation on the site. Therefore, SIR from concerned CCF for CA plantation may kindly be submitted.
7) The notification of CA land to PF/RF needs to be submitted to this office.

उपरोक्त जानकारियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डॉ. अमर मीणा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:
1) वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्र) वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
2) श्री शरद कुमार [illegible], ग्राम- [illegible], जिला-सतना, मध्यप्रदेश।

(डॉ. अमर मीणा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

परिशिष्ट P-23

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FF/MP/MIN/33660/2018/3150 भोपाल, दिनांक 3-1-19

प्रति –

[illegible] [illegible], (आ.म.क.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय– सतना जिले के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम-[illegible] के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (नया) 4.600 हे. संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री [illegible] को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक/6-MPC066/2018-BHO/051 दिनांक 05/12/2018/10/2018

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9099 दिनांक 18/9/2019 से 07 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन
1	The original proposal was of compartment No. PF-203 and at present it is in compartment No. PF-2870. The fact needs to be supported by the approved working plan changes or notification, which is applicable.	सतना वन मंडल की कार्य आयोजना भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्र. 2367 दिनांक 10/12/2008 से पुनरीक्षित की गई थी, जिसकी समयावधि 2008-09 से 2017-18 तक निर्धारित थी। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पूर्व आवेदित रकबा का कक्ष क्रमांक पी-203 था। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पश्चात् कक्ष क्रमांक पी.एफ.-870 पुनर्निर्धारित किया गया है। पुराने एवं नये कार्य आयोजना के सम्बन्धित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न है।
2	The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18-12-2012 and the case was forwarded to this office for renewal after gap of 6 years. Therefore, status of the land during those 6 year along with the possession of land needs to be submitted to this office.	खदान की लीज की अवधि दिनांक 18/12/2012 तक थी। लीज अवधि समाप्ति दिनांक से लीज क्षेत्र वन विभाग के आधिपत्य में है। दिनांक 18/12/2012 के पश्चात् लीज क्षेत्र में उत्खनन एवं परिवहन का कार्य पूर्णतया बन्द है।
3	A certified copy of valid mining lease as on 8-10-2018 may kindly be submitted.	कलेक्टर सतना ने पत्र क्रमांक 4304 दिनांक 28/12/2018 (छायाप्रति संलग्न) में लेख किया है कि खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 के अधीन खनिपट्टे की अवधि वृद्धि का पूरक अनुबंध वन विभाग की अनापत्ति/अभिमत प्राप्त होने पर अवधिवृद्धि के पूरक अनुबंध की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रत्युत्तर
4	The DSS analysis shows the proposed area to be 0.38 ha short of 4.60 ha. As correct area KML along with the approach road shall be submitted & uploaded on e-portal.	आवेदक श्री शरद बन्सल द्वारा अपने पत्र दिनांक 23/01/2018 में लेख किया गया है कि जिले नियंत्रण मानचित्र में चिह्न क्रमांक A एवं D दर्शाये गये हैं। आवेदक द्वारा नया जियो रिफरेन्स मानचित्र जी.पी.एस. रीडिंग सहित संलग्न प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्खनन हेतु 4.072 हे. एवं निकासी हेतु 0.028 हे. भाग दर्शाया गया है। कुल रकबा 4.600 हे. ही है। संशोधित KML फाईल ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
5	The DSS analysis shows the presence of MDF over 3 ha. State Govt. need to justify the stand with detail tree enumeration list and site photographs.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित खदान में कुल 0.706 हेक्टेयर क्षेत्र में ही उत्खनन का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा रोपित किये गये मिश्रित प्रजाति के पौधों में वर्तमान में 128 नग पौधे तथा 180 नग बांस पौधे कुल 308 नग पौधे जीवित पाये गये हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां/ उप वन मंडल अधिकारी चित्रकूट का प्रतिवेदन तथा गणना पत्रक, सीमा पंचनामा एवं छायाचित्र संलग्न है।
6	The State Govt. certified that CA was carried at on 8.00 ha. of non-forest land of khasra No. 96/1 (part), the Satellite images does not shows any plantation on the site. Therefore, SIR from concerned CCF for CA plantation may kindly be submitted.	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई रकबा 8.00 हे. गैरवनभूमि का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02/02/2019 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें 820 नग जीवित पौधे पाये गये हैं। वर्तमान में उक्त क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी-868 के अंदर है। वृक्षारोपण क्षेत्र में अतिरिक्त फेंसिंग तथा मृत पौधों के स्थान पर पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के व्यय की राशि आवेदक से प्राप्त कर पुनः कार्य कराने का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा अपने पत्र क्र. 9060 दिनांक 18/9/2019 में उल्लेख किया गया है। 820 नग जीवित पौधों का गणना पत्रक, पंचनामा संलग्न है।
7	The notification of CA land to PF/RF needs to be submitted to this office.	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम [illegible] खसरा नं. 96/1 रकबा 8.00 हे. उपलब्ध कराई गई गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 28/2/2003 में अधिसूचना क्र. डी 594-10-03-दस-3 दिनांक 17/2/2003 से अधिसूचित की गई है। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथा प्रतिवेदन मय अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

31/5/19

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/3151 भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
3. श्री [illegible] जिला सतना, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट P-30

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/2019/10-11/[illegible]   भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रति,

श्री [illegible] कुमार मिश्रा,
वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी,
[illegible],
मध्यप्रदेश।

विषय- [illegible] 4.8 हेक्टेयर का व्यपवर्तन।

-:-

[illegible] 4.8 हेक्टेयर [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया गया है, जिसका [illegible] 2/2018 है। [illegible]

दिनांक 24.12.2018 [illegible]

[illegible] 2000 [illegible]

[illegible] प्रस्तुत करें -

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

उपरोक्त बिन्दुओं पर [illegible] प्रस्तुत करें।

(सुनील [illegible])
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/2019/10-11/[illegible]   भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि-

मुख्य वन संरक्षक, [illegible], मध्यप्रदेश की ओर [illegible] हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट P-31

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2018/5098 भोपाल, दिनांक 09-0

प्रेषक -

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं.-3, ई-5 रविशंकर नगर, भोपाल, म.प्र.

विषय- सतना वन मंडल के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्र.पी.एफ.-870 (भाग) रकबा 4.6 हे. वनभूमि में स्थित श्री शरद कुमार बंसल की खदान का नवीनीकरण।

संदर्भ- ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018

-0-

वर्ष 2003 में श्री शरद कुमार बंसल द्वारा सतना वन मंडल में लेटराईट खनिज के उत्खनन के लिये 9.00 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी। आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक से इस 9.00 हैक्टेयर में से 4.6 हैक्टेयर वन भूमि में खनन हेतु नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 24.12.2019 को भारत सरकार में आयोजित बैठक में स्वीकृति हेतु विचार करने पर यह पाया गया कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य में मात्र 970 पौधे ही रोपित हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा यह आपत्ति की गई कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 8800 पौधे रोपित होने थे तब रोपण में क्यों 2000 पौधे मात्र रोपित किये गये। मौके पर नीलगिरि के पौधे रोपित किये गये जबकि वृक्षारोपण योजना के अनुसार मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित होने थे।

इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, सतना से जानकारी चाहने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 28.02.2020 से अवगत कराया है कि तत्समय मौके पर पर्याप्त जल संचार होने के कारण 2000 पौधों का रोपण किया गया था। प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा यह अनुमोदित किया गया है कि क्षेत्र में भारत सरकार की वर्ष 2002 की स्वीकृति की शर्त के अनुसार अनुमोदित रोपण योजना के अनुसार 8800 पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 922 दिनांक 09/3/2020 से स्वीकृत योजना के अनुसार रोपण करने के लिये आवश्यक धन राशि सतना वन मंडल को उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) से अनुरोध किया गया है। यह कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगी। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2002 में ही योजना के लिये आवश्यक राशि तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध करा दी थी। इस प्रकार प्रकरण में आवेदक संस्था स्तर से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

09/03/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33660/2018/999 भोपाल, दिनांक 09-03-2021

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश
3. श्री शरद कुमार बंसल, यू.पी. जैतवारा जिला सतना, मध्य प्रदेश।
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

09/03/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

[illegible]

No. [illegible] 668 Dt. [illegible]

To,

The Principal Secretary (Forest),
Govt. of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)

Sub: Proposal for renewal of 4.6 ha Protected Forest land for mining of [illegible] of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, [illegible] in Satna District in Madhya Pradesh.

Ref: MoEF&CC (RO HQ) letter No. [illegible] dated [illegible] (copy enclosed)

Sir,

With reference to above mentioned subject and letter under reference, I am directed to request you to look into the CA [illegible] plantation status in respect of 4.60 ha of protected forest land for mining of [illegible] of Ochre, White clay & Laterite in favour of Mr. Sharad Kumar Bansal [illegible] in Satna District of Madhya Pradesh (FP/MP/MIN/[illegible]) which is as follows:-

1) The Stage-II for mining lease proposal was granted on dated 19/07/2003 and CA was approved on 5.00 ha non-forest land at Khasra no. [illegible] now Compartment no. P-[illegible]. The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18/7/2012.
2) The proposal was received by Regional Office, MoEF&CC, Bhopal in November 2016 for renewal of mine.
3) The proposal was examined and status of CA is as follows:-
   a. The CA scheme in the year 1997 for 5 years with Rs. [illegible] was approved and amount was deposited on [illegible]. The plantation of mixed species ([illegible], Neem, Cassia Siamia, Bamboo, Teak) with 8,500 nos. of plants [illegible] was approved in CA scheme.
   b. The CA implementation report of the DFO Satna dated [illegible] mentioned that plantation was carried out in year 2004 with 2,0[illegible] seedlings [illegible] and now only 100 eucalyptus plants are present in the 5 ha area.
4) DSS analysis and Satellite images of CA land plantation shows that the area is barren with [illegible] less than 0.1
5) The matter was placed in the REC dated 24/12/2019 [illegible] Agenda [illegible] the REC deferred the proposal for want of "the report on plantation with present status and reasons for failure along with reasons for [illegible] in CA scheme (8,4[illegible] plants in 5 ha) and actual implemented (2,000 plants in 5 ha) and only 100 plants available shall be submitted by the State Govt. of Madhya Pradesh".
6) The State Govt. vide letter dated [illegible] (copy enclosed) has submitted the following reply:-
   a. In the year 2002 only 2000 plants were planted in place of 8500 plants in 5 ha.
   b. Now, the State Govt. is proposing for 8500 plants on same land and required amount is proposed from State CAMPA funds which will be in addition to the expenditure incurred in 2004.

Contd...2

6. Further, whether the proposal of renewal deserves consideration by the Central Government, needs to be examined in light of following :

   a. As per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 there will not be any renewal of mining leases granted for metallic and non-metallic minerals as the leases have been deemed to have been granted for a period of 50 years or date of expiry of renewal granted under MMDR Act, 1957 till 31st March, 2020 whichever is later. Moreover, on the expiry of validity the lease has to be auctioned. Therefore, admissibility of the proposal needs to be examined in light of limitations provided in the MMDR Amendment Act, 2015.

   b. Further, Ministry vide its guidelines dated 8/04/2015 has extended the validity of FC approvals accorded in the past for a period coterminus with the validity granted under the MMDR Act, 2015. Validity of the forest clearance granted in the instant case needs to be examined in light of provisions stipulated in the guidelines dated [illegible] by the Regional Office.

   c. With regards to the non-compliance/ partial compliance of conditions stipulated in the approvals already granted, it is mentioned that to deal with such cases detailed guidelines have been issued by the Ministry on 29/01/2018 which were incorporated in para 1.21 (ii) of the Handbook issued on 28/03/2019.

In view of the above, it is requested that the State Govt. to examine the observations, as indicated above and the same may be submitted to the Regional Office, Bhopal for further necessary action in the matter at the earliest.

Encl: As above

(B. Ajithy Bhaskar)
Asstt. Inspector General of Forests (Central)

Copy to:-

1) The Addl. Director General of Forests (FC), Govt. of India, Ministry of Environment and Forests and Climate Change, Agni Wing, 3rd Floor, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003.

2) The APCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.

(B. Ajithy Bhaskar)
Asstt. Inspector General of Forests (Central)

परिशिष्ट P-33

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/ FB/MP/MIN/33686/2018/ 3210 — भोपाल, दिनांक 24/09/2020

प्रेषक –

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन
लिंक रोड नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर
मध्य प्रदेश।

विषय-वन मंडल, सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम [illegible] के वन कक्ष क्र. PF- 870 रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में [illegible] पत्थर खदान हेतु लीज [illegible] श्री शरद कुमार [illegible] का नवीनीकरण का प्रस्ताव।

संदर्भ-आपका पत्र क्रमांक/6-MPC069/2018/BHO/368 Dated 06/08/2020.

कृपया आपके संदर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा उठाये गये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान चाहा है:-

6. Further the proposal of renewal requires consideration by the Central Government needs to be examined in light of following:

a. As per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 there will not be any renewal of mining leases granted for metallic and non-metallic minerals as the leases have been deemed to have been granted for a period of 50 years or date of expiry of renewal granted under MMDR Act, 1957 or 31st March, 2020 whichever is later. Moreover, on the expiry of validity the lease has to be auctioned. Therefore, maintainability of the proposal needs to be examined in light of limitations provided in the MMDR Amendment Act, 2015.

b. Further, Ministry vide its guidelines dated 01/04/2015 has extended the validity of FC approvals accorded in the past for a period co-terminus with the validity provided under the MMDR Act, 2015. Validity of the forest clearance granted in the instant case needs to be examined in light of provisions contained in the guidelines dated 01/04/2015 by the Regional Office.

7. With regard to the non-compliance/ partial compliance of conditions stipulated in the approvals already granted, it is mentioned that to deal with such cases detailed guidelines have been issued by the Ministry on 29/01/2018 which were incorporated in para 1.21 (ii) of the Handbook issued on 28/03/2019.

बिन्दु क्रमांक-6a के संबंध में टीप निम्नानुसार है:-

6 • भारत सरकार के [illegible] दिनांक 12/01/2015 से सभी खनिज लीज की 50 वर्ष या 31/03/2020 जिस [illegible] बाद में हो, निर्धारित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 10/02/2015 से (31) खनिजों को गौण खनिज घोषित किये जाने की सूची जारी की गई है। (संलग्न परिशिष्ट–1)
- मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 10/03/2016 से सभी गौण खनिजों की माईनिंग लीज 30 वर्ष या दिनांक 31/3/2025 जो भी बाद में हो, स्वीकृति के निर्देश दिये गये है। (संलग्न परिशिष्ट–2)
- खनिज साधन विभाग ने यह सहमति दी है कि श्री [illegible] की लीज दिनांक 31/03/2034 तक बढ़ाने जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 से [illegible] स्वीकृति प्राप्त हो। (संलग्न परिशिष्ट–3)
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र क्रमांक 11-31/2015-FC दिनांक 01/04/2016 में भी इसके निर्देश है। (संलग्न–परिशिष्ट–4)
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 11-31/2015-FC दिनांक 01/05/2016 में स्पष्ट निर्देश है कि किसी प्रकरण में केवल उसी भाग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमोदन की आवश्यकता है जिसकी लीज पूर्व में स्वीकृत न हो। इस प्रकरण में पूर्ण लीज क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम में अनुमोदन पूर्व में प्राप्त है। (संलग्न–परिशिष्ट–5)
- राज्य शासन, वन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक/1452/2226/2016/10–3 दिनांक 27/9/2016 से इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा था जो अभी तक अप्राप्त है। (संलग्न परिशिष्ट–6)
- पुनः राज्य शासन वन विभाग द्वारा अपने स्मरण पत्र क्रमांक/एफ–25–1/2017/10–3 दिनांक 30/01/2017 से उक्त संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (संलग्न परिशिष्ट–7)

बिन्दु क्रमांक–7 के संबंध में लेख है कि [illegible] दिशा [illegible] के बिन्दु 1.21 (iii) में वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन में [illegible] दण्ड का प्रावधान है। यह प्रावधान [illegible] के लिये है। इस प्रकरण में आवेदक स्तर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। क्षतिपूर्ति वनीकरण में हुई कमी के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही अलग से भी की जा रही है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी पर बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

[signature] [illegible]

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/ IIII-1/ FF/MP/MIN/[illegible]/528/ 5211 भोपाल, दिनांक 24/07/2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक [illegible] वृत्त [illegible] मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, [illegible] मध्यप्रदेश।
3. श्री [illegible] कुमार [illegible], ग्राम– [illegible], जिला [illegible], मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

परिशिष्ट P-54

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

File No. 6-MPC064/2018-BHO/ 285

Dated : 24.03.2021

To

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Madhya Pradesh
Vallabh Bhawan
Bhopal (MP).

Sub: Proposal for renewal of 4.60 ha PF land for mining of reserve of ochre, white clay mill [illegible] in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna district of MP.

Ref: 1. MoEF&CC letter No. 7-4/2020-ROHQ(Vol-I) dated 02.06.2020
2. This office letter No. 6-MPC064/2018-BHO/468 dated 08.06.2020
3. APCCF(LM), Govt. of MP letter No. F-1/FP/MP/MIN/3660/2018/3318 dated 24.09.2020.

Sir,

With reference to the above mentioned subject and letter under reference, I am directed to request you that the point wise replies shall be submitted on following points :

1. Original proposal envisaged afforestation of 8000 plants of which only 2000 were planted and currently only 320 plants are surviving on the said land. How again plantation of 8000 plants has been proposed without accounting for existing/surviving plants of 380 and guidelines on CA issued by the MoEF&CC which provides for raising of 1000 plants per hectare.
2. Status of utilization of compensatory levies realized from the user agency in lieu of diversion of forest land in the year 2002 for raising CA.
    a. How much amount was deposited in CAMPA fund for CA?
    b. How much amount was spent for plantation?
    c. What is the status of remaining amount i.e. where is the amount and how much ?
    d. How much amount has been proposed for remaining plantation and what is the source of the said amount ?
    e. Detailed project report of remaining plantation shall be submitted.
3. Detailed status report for non compliance/partial compliance of the conditions stipulated in the approval under Para 1.21(iii) of FCA Handbook 2019 shall be submitted.

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

1. The PCCF & HoFF, Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal
2. The APCCF(LM), Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

APCCF (LM)

P.C.C.F. (HoFF)
M.P., Bhopal

कार्या. प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 194
भोपाल, दिनांक 31/3/21

परिशिष्ट P-35

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/2021/2074 भोपाल, दिनांक 23-6-21

प्रति

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन
लिंक रोड नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर, भोपाल
मध्य प्रदेश।

विषय–सतना जिले के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम–पिपरीटोला के वन के खसरा (नया) रकबा 4.000 है. संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओपन कास्ट खदान हेतु, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु – श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ–आपका पत्र क्रमांक 6-MPC 966/2018-BHO/213 दिनांक 24/03/2021

—o—

सुधार प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र से निम्न तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है–

क्रमांक	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी का विवरण
1	Original proposal envisaged afforestation of 8600 plants of which only 200 were planted and currently only 520 plants are surviving on the said land. Now again plantation of 8600 plants has been proposed without accounting for existing/surviving plants of 580 and guidelines on CA issued by the MoEF&CC which provides for raising of 1000 plants per hectare.	वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र क्र. 4800 दिनांक 22/06/2021 से अवगत कराया है कि वर्ष 2000 में तैयार की गई रोपण योजना में 8600 पौधे रोपित करने का प्रावधान था, चूंकि वास्तविक रोपण जुलाई 2004 में मिश्रित प्रजाति के 2000 पौधों का रोपण किया गया था, शेष क्षेत्र पर वृक्ष आच्छादित हो जाने के कारण 30 से.मी. गोलाई तक के ठूंठ सुधार विरलन का कार्य एवं अनुपयोगी झाड़ियों की सफाई एवं ठूंठ ड्रेसिंग का कार्य कराया गया है, दिनांक 23/12/2020 को स्थल निरीक्षण के दौरान 830 पौधे वर्तमान में जीवित पाये गये है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइड लाईन के अनुसार 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हेक्टयर की दर से तैयार की जाकर संलग्न है।
2	Status of utilization of compensatory levies realized from the user agency in lieu of diversion of forest land in the year 2002 for raising CA.	वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है कि –
3.	How much amount was deposited in CAMPA fund for CA ?	आवेदक संस्था द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रूपये 133024/- बैंकर्स चैक क्र. बी.सी. 00/012 772321 दिनांक 20/6/2000 भारतीय स्टेट बैंक सतना, सिटी में जमा किया गया है

2		जिले सीडी एकाउन्ट मद में अर्पित चालान क्र. 3/4 दिनांक 29 जून 2000 में दाखिल खजाना किया जा चुका है।
b	How much amount was spent for plantation ?	वृक्षारोपण कार्य में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक उपरोक्त राशि रुपये 78,269/- व्यय किया गया है।
c	What is the status of remaining amount i.e. where is the amount and how much ?	शेष योजना की राशि सीडी एकाउन्ट मद में रुपये 51,755/- शेष है।
d	How much amount has been proposed for remaining plantation and what is the source of the said amount ?	रुपये 30,58,304/- की वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है जो संलग्न है। यह राशि निर्धारित मद से प्राक्कलित की जावेगी।
e	Detailed project report of remaining plantation shall be submitted.	विस्तृत 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न है।
f	Detailed status report for non compliance/partial compliance of the conditions stipulated in the approval under Para 1.21 (iii) of FCA Handbook 2019 shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा व्यपवर्तित भूमि पर प्रस्तावित हेतु अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/FXMP/MIN/33600/2018/2075 भोपाल, दिनांक 29-6-21

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सीधी वृत्त सीधी, मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल सतना, मध्यप्रदेश
3. श्री शरद कुमार अग्रवाल, पोस्ट चौबारा जिला सतना, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

0/c

परिशिष्ट P-36

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No. 3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: [illegible]

File No. 6-MPC 090/2018-BHO/ — Date: 25/11/2021

To,

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Madhya Pradesh
Vallabh Bhawan
Bhopal

Sub.: Proposal for renewal of 4.00 ha Protected Forest land for mining of reserve of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, Jaitwara in Satna District of Madhya Pradesh-reg.

Ref.: APCCF(LM) & Nodal Officer, M.P. letter No. F-1/PP/MP/MIN/33660/2018/2074 dated 29/06/21

Sir,

With reference to the above mention subject and letter under reference, undersigned is directed to inform you that it is observed that proposal needs further clarification. In this connection, undersigned is directed to request you to submit following information/documents:

1. The afforestation in the CA land identified earlier on which CA plantation has failed, has been proposed by way of proposing afforestation of 8000 plants over 8 ha. Cost of Rs. 30,58,354/- proposed to be incurred on re-afforestation will be spent from the State Forest Department account. However it has not been clarified whether the same will be met from CAMPA account or otherwise.
2. The violation of condition of FC approval, the State has mentioned non-compliance is attributable to the State Authorities and not to the user agency and accordingly action are being taken by the State Forest Department against the responsible officials. Details of action may be sent.
3. Nodal Officer (FCA) in this letter dated 24/09/2020 has mentioned that Govt. of M.P. has [redacted] Rules, 1996 on 01/04/2015. However, State Governmen[redacted]regard from the Forest Conservation Division wherei[redacted] the State Govt.

[redacted]

2021

4. The Nodal Officer (FCA), Govt. of M.P. to ascertain any decision on the request made by the Nodal Officer (FCA) was taken by the Forest (Conservation) Division.
5. It may be mentioned here that in the past approval was granted on 19/12/2002 for 5.02 ha which was subsequently revised and revised approval over an area of 4.6 ha was granted on 21/07/2009 by IRO Bhopal for a period of 10 years. Revised approval 21/07/2009 implies that FC approval was valid till 20/07/2019.

This has been issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

Copy to : The PCCF (LM) and Nodal Officer, Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal-462004.

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

परिशिष्ट - P 33

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-1 / FP/MP/MIN/33650/2021B/ /144 भोपाल, दिनांक 25/1/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड न. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.800 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओवर बर्डन फेस, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33650/2010

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/11/2021

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/11/2021 से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>चाही गई जानकारी</th><th>प्रस्तुत जानकारी</th></tr>
<tr><td>i</td><td>The afforestation in the CA land identified earlier on which CA plantation has failed, has been proposed to be incurred on reafforestation of 8000 plants over 8 ha. Cost of Rs. 20,38,354/- proposed to be incurred on re-afforestation will be spent from the State Forest Department account. However it has not been clarified whether the same will be met from CAMPA account or otherwise.</td><td>पुनः वृक्षारोपण योजना में आंकलित राशि रुपये 20,38,354/- विभागीय मद से व्ययभारित की जावेगी।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>The violation of condition of FC approval, the State has mentioned non-compliance is attributable to the State Authorities and not to the user agency and accordingly action are being taken by the State Forest Department against the responsible officials. Details of action may be sent.</td><td>पूर्व में रकबा 8.00 हेक्टेयर गैरवनभूमि में 8800 पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित होने के बावजूद 2000 पौधे रोपित कर इसमें से केवल 520 पौधे जीवित होने व वृक्षारोपण विफल होने के स्थिति में तत्कालीन दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>अधिकारी/कर्मचारी का नाम</th><th>पदनाम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री अमरीश पाण्डेय</td><td>परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री माईकलाल शर्मा</td><td>परिक्षेत्र सहायक अमिरती</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी</td><td>वनरक्षक बीटगार्ड पिपरहा</td></tr>
</table>
उपरोक्त दोषित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। वर्तमान में उक्त अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गये है। वन मंडल अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 21/01/2022 संलग्न है।</td></tr>
</table>

iii	Nodal Officer (FCA) in this letter dated 24/09/2020 has mentioned that Govt. of M.P. has amended M.P. Minor Minerals Rules, 1996 on 01/04/2015. However, State Government had sought a clarification in this regard from the Forest Conservation Division wherein no clarification was provide by the State Govt.	खनिज साधन विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि खदान प्रकरण की लीज की अवधि बढ़ाई जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त हो। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्र. 11-31/2013-FC दिनांक 01/05/2015 में स्पष्ट निर्देश है कि किसी खदान के केवल उसी भाग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमोदन की आवश्यकता है जिसकी लीज पूर्व में स्वीकृत न हो। इस खदान की पूर्ण लीज क्षेत्र का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में अनुमोदन पूर्व से प्राप्त है। मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 3-127/1993/12/2 दिनांक 08/09/2020 के तहत कलेक्टर खनिज कार्यालय, पन्ना द्वारा विचाराधीन खदान की मूल स्वीकृत अवधि 01/09/2004 से 31/08/2054 (50 वर्ष) विस्तारित मान्य करते हुए खनिपट्टाधारी से पृथक अनुबंध दिनांक 20/01/2021 को निष्पादित किया गया है। (प्रति संलग्न है) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा पत्र क्र. /1452/2328/2019/10-3 दिनांक 27/09/2019 से इस खदान के खनन पट्टे की अवधि को मूल स्वीकृति पट्टा अवधि से 50 वर्ष विस्तारित (Extend) मान्य किया जाकर अंकित नहीं किया जाए भारत सरकार नई दिल्ली से मार्गदर्शन चाहा गया था जो प्राप्त न होने के कारण आवेदक द्वारा नवीनीकरण का यह प्रस्ताव FP/MP/MIN/33660/2018 प्रस्तुत किया गया है।
iv	The Nodal Officer (FCA), Govt. of M.P. to ascertain any decision on the request made by the Nodal Officer (FCA) was taken by the Forest (Conservation) Division.	बिन्दु क्रमांक- iii में उल्लेखित पत्र पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से कोई मार्गदर्शन /उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
v	It may be mentioned here that in the past approval was granted on 19/12/2002 for 3.02 ha which was subsequently revised land revised approval over an area of 4.6 ha was granted on 21/07/2009 by IRO Bhopal for a period of 10 years. Revised approval 21/07/2009 implies that FC approval was valid till 20/07/2019.	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा पूर्व औपचारिक स्वीकृति आदेश दिनांक 19/12/2002 को निरस्त करते हुए संशोधित औपचारिक स्वीकृति आदेश क्रमांक 8 C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21/07/2009 जारी किया गया था। तत्पश्चात पत्र क्रमांक 8 C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 08/01/2010 से शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें इस खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) निर्धारित की गई थी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यकी संलग्न पैनिल उत्तर प्रपत्र में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

28/3/2022

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2018/ 145

भोपाल, दिनांक 28/3/22

प्रतिलिपि:-

वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

28/3/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No-3, E-5, Ravi Shankar Nagar
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL [illegible]

File No. 6-MPC 066/2018-BHO/ Date: 2 7/06/2022

To,

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal
(M.P.)

Sub: Proposal for renewal of 4.60 ha Protected forest land for mining of reserve of Ochre, White Clay and Laterite in favour of Shri Sharad Kumar Bansal, [illegible] in Satna District of Madhya Pradesh-reg.

Ref: 1. This office letter No. 6-MPC 066/2018-BHO/ dated 25/11/2021
2. PCCF (LM), M.P. letter No. FF/MP/MIN/32060/2021/8/1144 dated 28/03/22.

Sir,

With reference to the above mention subject and letter under reference the undersigned is directed to inform you that proposal needs further clarification. In this connection, I am directed to request you to submit following information / documents:

1. Compliance status of approval dated 21/07/2009 shall be submitted before sending the file to the Ministry for necessary action.
2. De-novo Site Inspection Report of concerned DFO w.r.t. status of violation under FCA, 1980 needs to be submitted.

Further, necessary action will be carried out after receipt of above information.

Yours faithfully,

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forests)

Copy to: The PCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Govt. of MP, Bhopal.

Signed by Ram ...

परिशिष्ट P-39

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2021/2852 भोपाल, दिनांक 17/8

प्रति

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/06/2022

—०—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25/06/2022 में 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	Compliance status of approval dated 21/07/2009 shall be submitted before sending the file to the Ministry for necessary action.	भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 21/07/2009 में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रस्तुत है।
ii	De-novo Site Inspection Report of concerned DFO w.r.t. status of violation under FCA, 1980 needs to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र दिनांक 05/08/2022 से आवेदित वनक्षेत्र का दिनांक 02/08/2022 को संयुक्त रूप से किये गये स्थल निरीक्षण की निरीक्षण टीप प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस खदान की लीज दिनांक 18/12/2012 तक थी। उक्त लीज अवधि समाप्त होने के बाद लीज क्षेत्र में उत्खनन, परिवहन कार्य पूर्ण रूप से बन्द पाया गया है। उक्त लीज क्षेत्र वन विभाग के आधिपत्य में है। लीज क्षेत्र में दिनांक 16/12/2012 तक पिट क्रमांक 01 में रकबा 0.230 हेक्टेयर, पिट क्रमांक 02 में रकबा 0.475 है. कुल 0.705 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर 0.303 हेक्टेयर की रोड कुल रकबा 1.008 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य एवं निकासी मार्ग का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण कराया गया है। वर्तमान में उपरोक्त खदान पूर्ण रूप से बन्द है। आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः वन मंडल अधिकारी, सतना के पत्र दिनांक 05/08/2022 की प्रति आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2021/2853
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17/8/22

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश
2. वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
3. श्री शरद कुमार बंसल, गुप्ती, जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

[illegible]

क्रमांक : [illegible] 064/2018-[illegible]

दिनांक : [illegible]

प्रति,

[illegible]

विषय: [illegible] 4.00 हेक्टेयर [illegible] कुमार [illegible]

संदर्भ: 1. [illegible] 064/2018-[illegible] दिनांक 29/06/2022

2. [illegible] दिनांक [illegible]/08/22

महोदय,

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

परिशिष्ट P-61

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/20218/ भोपाल, दिनांक

प्रति

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:– वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम बिरसीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.–870 के रकबा 4.800 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर बाक्स एवं लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. **FP/MP/MIN/33660/2010**

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30 / 01 / 2023

—o—

आपके संदर्भ पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30 / 01 / 2023 से विषयांकित प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार की औपचारिक अनुमोदन पत्र दिनांक 21 / 07 / 2009 में वर्णित समस्त शर्तों का विशेषकर शर्त संख्या–2 एवं 4 का पूर्ण पालन प्रतिवेदन की जानकारी चाही गई थी बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

क्र.	भारत सरकार की शर्त क्रमांक		शर्त का पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।		आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा पुनः प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
2	क	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम मझगवां के खसरा क्रमांक 98 / 1 (पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जावेगा।	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रू. 1,30,024 / – दिनांक 26.06.2000 को वन विभाग को जमा करवाई गई है।
	ख	इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
	ग	इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति वह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

3	उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या, बियरिंग और खम्भों की दूरी सहित, आर.सी.सी. खम्भों (ऊँचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा।	माइनिंग लीज एरिया का सीमांकन आर.सी.सी. पिलर के माध्यम से काफी पूर्व किया जा चुका है। इस कार्य के संबंध में तत्समय तैयार पंचनामा परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।
4	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर समतलीकरण किया जाएगा। खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा।	उपवनमण्डलाधिकारी, कटनी द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक 8266 दिनांक 31.08.2012 से मौका पंचनामा प्रतिवेदन दिया गया है। मौका पंचनामा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आवेदक द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण (रिक्लेमेशन) कर इस पर 650 पौधे रोपित किये पाए गये है। साथ ही लीज बाउण्ड्री लाईन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 900 पौधे जीवित अवस्था में मौके पर पाये गये। मौका पंचनामा परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
5	खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।	मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 3–114/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 से खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि 01.09.2004 से 31.08.2014 तक थी। परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के शुद्धि पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट किया गया कि खनिपट्टा की अवधि 10 वर्ष अर्थात दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक होगी। अतः खदान दिनांक 18.12.2012 से वन विभाग के आधिपत्य में है।
6	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–6 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
7	प्रस्तावित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–7 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
8	राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–8 पर संलग्न है।

भारत सरकार के उपरोक्त 8 शर्तों के अतिरिक्त म0प्र0 शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1948/1893/09/10-3 दिनांक 10.08.2009 से निम्न शर्तें अधिरोपित है :-		
1	स्वीकृत खदान के आस-पास के 2 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आस-पास के 2 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जायेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा नियमित कार्यवाही की जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।
2	आवेदक संस्था से यह लिखित वचन पत्र लिया जावे कि भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो व उन्हें मान्य होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

अतः आवेदक श्री शरद बंसल द्वारा पूर्व में दिये गये वचन पत्र एवं दिनांक 07/02/2023 को दिये गये वचन पत्र की प्रतियां तथा आवश्यक अभिलेखों संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/33660/2021/ 613 भोपाल, दिनांक 08/[illegible]/24

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश
2. वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
3. श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

[illegible]

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)
[illegible]

क्रमांक: [illegible]

दिनांक : 13/09/2022

प्रति,

[illegible]

विषय: [illegible]

संदर्भ: [illegible]

महोदय,

[illegible]

1. A [illegible] approved working plan for the [illegible] period shall be submitted.
2. [illegible] shall be [illegible] the [illegible] period [illegible].
3. The [illegible] of [illegible] shall be maintained.

[illegible]

भवदीय

[illegible]

प्रतिलिपि: [illegible]

Signed by [illegible]
Date: [illegible]
Reason: Approved

परिशिष्ट P-13

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल

क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2018/ 5351 भोपाल दिनांक 23.10.2024

प्रति

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रवीशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय- वन मण्डल सतना के अंतर्गत ग्राम पिपरीटोला की वन कक्ष क्र. पी.एफ.-870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर प्लांट हेतु लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण बाबत श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2018.

संदर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC 006/2018-BHO/ दिनांक 12/09/2023

—o—

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
1	A copy of approved mining plan for the renewal period shall be submitted.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में नवीनीकरण अवधि हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।
2	Documentary proof shall be provided to substantiate that the mining lease has been extend to period upto 31/08/2054.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में कलेक्टर, खनिज शाखा, सतना द्वारा खदान की पुनः स्वीकृति दिनांक 01.09.2004 से 31.08.2054 (50 वर्ष) तक मान्य, उक्त भूमि स्वामि पट्टाधारी के अनुबंध दिनांक 30.01.2021 को निष्पादित किया गया है। निष्पादित अनुबंध एवं रजिस्ट्री की प्रति संलग्न प्रेषित है।
3	The proposal is related to renewal of mining lease, hence status of the safety zone shall be reported.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि प्रस्ताव खनन पट्टा नवीनीकरण का होने से सुरक्षा क्षेत्र की प्रथम वनमंडलाधिकारी सतना द्वारा बनाई गई है, जिसमें खदान क्षेत्र पी.एफ.-870 श्री शरद कुमार बंसल को पूर्व स्वीकृत खदान रकबा 4.600 हेक्टेयर आवंटित क्षेत्र के सेफ्टी जोन 7.5 मीटर छोड़ा गया है। उक्त सेफ्टी जोन में पौधा रोपण भी किया गया है। निरीक्षण के दौरान सेफ्टी जोन में 300 पौधे जो अच्छी जीवित अवस्था में पाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी आपको प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्ताव में भारत सरकार की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

23.10.24

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33880/2021/5350 भोपाल, दिनांक 23.10.2[illegible]

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सीधी वृत्त, सीधी मध्यप्रदेश
2. वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
3. श्री शरद कुमार [illegible] जिला सतना मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

23/10/21

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रपत्र-2

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Regional Office, Western Region, [illegible]
Bhopal-462016 (M.P.)
Phone: [illegible]
Fax: [illegible]
Telegram: CENTFOREST
E-mail: [illegible]

[illegible] 2971

दि. 19-12-2002

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] ।
2. [illegible] ।
3. [illegible] ।
४. [illegible] ।

ह०/-

([illegible])

[illegible]

प्रतिलिपि:

1. [illegible] ।
2. [illegible] ।
3. [illegible]
4. [illegible] ।
5. [illegible] ।
6. [illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

प्रपत्र-3

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region,
केन्द्रीय पर्यावरण भवन
Kendriya Paryavaran Bhavan
लिंक रोड नं.-3 Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म.प्र.)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
ई-मेल /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक 3C/5/435/1997-BCW/ 1805, दिनांक 21-7-2009,

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, [illegible]
भोपाल ।

विषयः [illegible] 4.800 [illegible] 3.400 [illegible]

संदर्भः 1. [illegible] /1/436/1997-[illegible]/2471 दिनांक 18/12/2003
2. [illegible] एफ-1/152/96/10-11/2358 दिनांक 24/12/2008

महोदय,

[illegible] दिनांक 03/05/1997 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. (i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

3. उत्खननकर्ता के खर्चे पर, भूमि पर [illegible] और [illegible] की [illegible] (सर्वे 4 [illegible]) का प्रयोग करते हुये [illegible] का [illegible] किया जायेगा।

4. [illegible] द्वारा [illegible] के खर्चे पर [illegible] किया जायेगा। [illegible]

5. [illegible] नहीं की [illegible] होगी।

6. अनुज्ञा का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।

7. प्रस्तावित अनुज्ञा पर कोई [illegible] नहीं किया जायेगा।

8. राज्य शासन द्वारा लगाई गयी अन्य कोई शर्त। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।

इस कार्यालय के [illegible] अनुमोदन [illegible] एफ/4/43/1997-[illegible]/[illegible] दिनांक [illegible]/12/2002 [illegible] अपेक्षित औपचारिक अनुमोदन प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

(सुजीत बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि

1. वन महानिरीक्षक (एफसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक [illegible]
3. [illegible] जिला-[illegible], मध्यप्रदेश।
4. श्री [illegible] जिला-[illegible], मध्यप्रदेश।
5. [illegible]

30/[illegible]
(सुजीत बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

GEO REFERENCED MAP FOR DIVERTED LAND

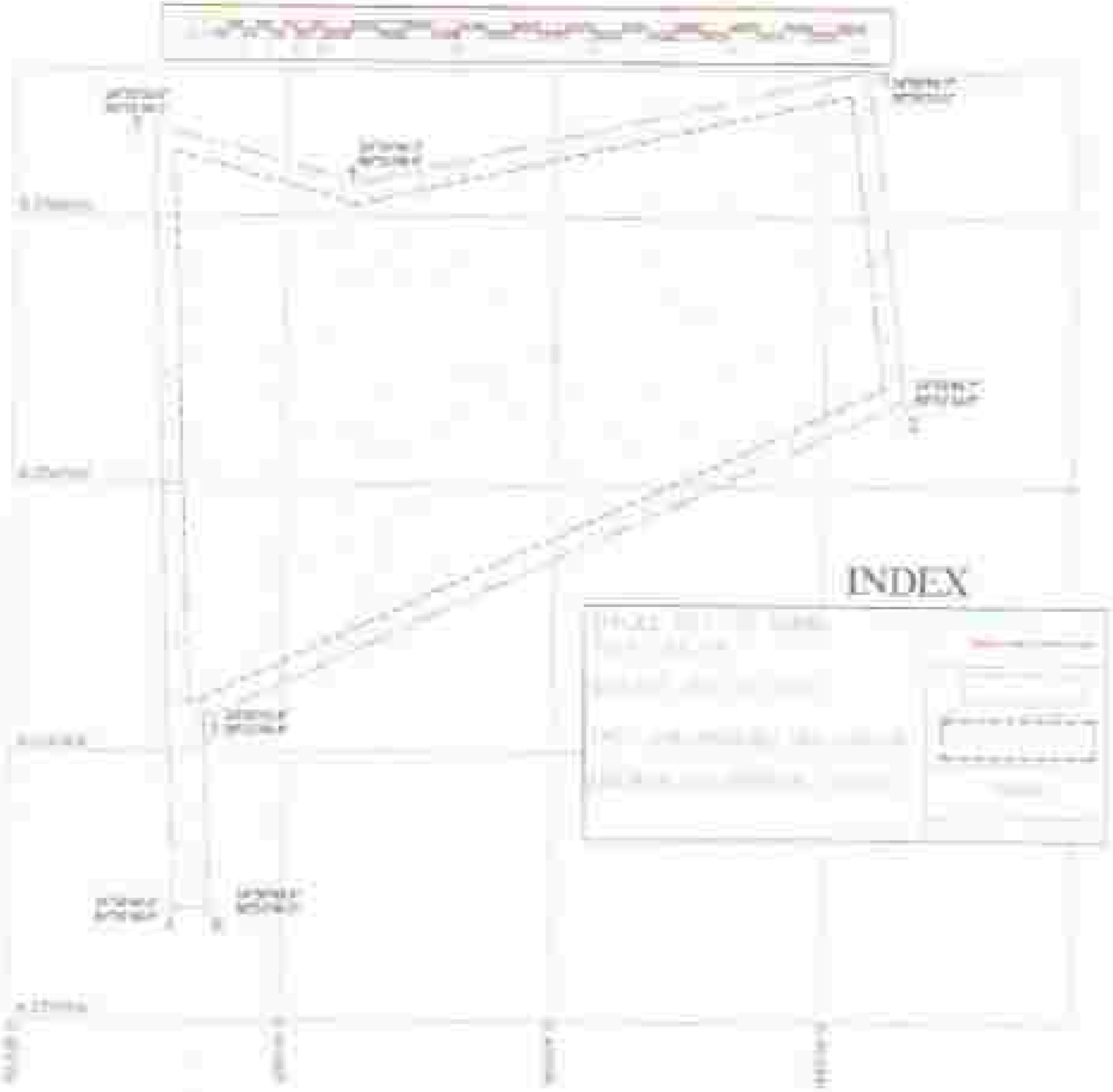

प्रपत्र-5

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना, म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ /सतना दिनांक

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- वन भूमि के लिए नेट प्रजेन्ट वैल्यू वसूल करने बाबत्।

सन्दर्भ:- (1) म.प्र. शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-3/16/2002/10-3 दिनांक 12.09.08।
(2) मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा का आवेदन दिनांक 14.01.09।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के सन्दर्भित आदेश से [illegible] की ईको वैल्यू श्रेणी से नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि वसूल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

वन मण्डल सतना हेतु बनाई गई वर्किंग प्लान [illegible] भाग-1 अध्याय 3 एवं [illegible] पृष्ठ 13 में [illegible] के अन्तर्गत आने वाले वनों का विवरण दर्शाया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित श्रेणी [illegible] अतिक्रमित [illegible] वन का क्षेत्र भी निर्धारित होता है। जिसके अनुसार आदेश में निर्धारित III [illegible] वन के लिए लागू नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि वसूल किया जाना है।

मेसर्स शरद कुमार बंसल, मुकाम पोस्ट जैतवारा द्वारा [illegible] 4.600 हेक्टर हेतु एन.पी.व्ही. राशि [illegible] में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। [illegible] का विवरण निम्नानुसार है:-

स्वीकृति का क्षेत्र (हे.मी.)	शासन को आवेदन किये जाने वाला वन क्षेत्र (हे.मी.)	शेष क्षेत्र (हे.मी.)	शेष क्षेत्र हेतु जमा कराई गई ने.प्र. वैल्यू राशि 5.80 लाख की दर से	संशोधित दर 6.26 लाख अनुसार जमा कराई जाने वाली ने.प्र. वैल्यू राशि	अन्तर की राशि जो आवेदक से जमा कराई जानी है
8.000	3.400	4.600	2668000	2879600	211600

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सतना

पृ. क्रमांक/मा.चि./ /सतना दिनांक

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक (एन.पी.व्ही.), [illegible] म.प्र. [illegible] भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मे. शरद कुमार बंसल, मु. पोस्ट जैतवारा की ओर उनके आवेदन के सन्दर्भ में सूचनार्थ। एन.पी.व्ही. की संशोधित दर अनुसार अन्तर की राशि रू. 211600 का ड्राफ्ट वन मण्डल अधिकारी सतना के पक्ष में जमा करायें।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

उपत्र-6

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना, म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./ 5515 /सतना दिनांक 14-7-09

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू – प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय–सतना जिले में लेटराइट, फायर क्ले, ओकर्स के उत्खनन हेतु 8.00 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रमोद कुमार बंसल का प्रस्ताव।

संदर्भ–आपका पृष्ठा. पत्र क्रमांक/एफ–1/152/94/10–11/908 दिनांक 28.04.09।

आपके सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार [illegible] के सम्बन्ध में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की अंश की राशि 7,11,020.00 (सात लाख ग्यारह हजार बीस रु. मात्र) आवेदक से ड्राफ्ट क्रमांक 185397 दिनांक 8.07.09 इलाहाबाद बैंक द्वारा वन मण्डल अधिकारी, सतना के नाम प्राप्त हो गया है। उक्त जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सतना
14/7/09

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 5516 /सतना दिनांक 14-7-09

प्रतिलिपि,

मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना
14/7/09

[illegible] E-Mail [illegible]

प्रपत्र-7

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना (म.प्र.)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

[illegible]

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सतना

पृ.क्र./ 257   सतना, दिनांक 11/2/05

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

प्रपत्र-8

कार्यालय वन मण्डल, सतना, (म. प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ [illegible] /सतना दिनांक [illegible]

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

रीवा वृत्त, रीवा (म.प्र.)

विषय:- [illegible] 8.000 हेक्टेयर [illegible] 4.600 हेक्टेयर वन भूमि [illegible] 3.400 हेक्टेयर वन भूमि [illegible] का प्रस्ताव।

संदर्भ— आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./6560 दिनांक 11.09.09

[illegible]

संलग्न- [illegible]

वन संरक्षक,

वन मण्डल, सतना

क्रमांक/मा.चि./ [illegible] /सतना दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि,

1. [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. [illegible] दिनांक [illegible] के संदर्भ में सूचनार्थ।

वन संरक्षक,

वन मण्डल, सतना

प्रेषक — शरद कुमार बंसल
ग्रा. — जैतवारा
जिला — सतना (म.प्र.)

दिनांक — 20 ... 09

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र मझगवां
जिला — सतना (म.प्र.)

विषय: सतना जिले के ग्राम पिपरी दोहार कक्ष क्र. 203 पी. में 8.00 हे. वन भूमि में से संशोधित स्वीकृत रकबा 4.60 हे. क्षेत्र में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ऑकर के उत्खनन हेतु अनुमति की प्रत्याशा में देने बाबत्।

संदर्भ:- वन मंडलाधिकारी सतना का पत्र क्र. मा. चि./7947 दिनांक 15.09.2009।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन में जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है —

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन —

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा शपथ पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। संशोधित स्वीकृति में [illegible] संलग्न है।

2. अ — वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर [illegible] (पार्ट में) [illegible] क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा।

उपयोगकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 1,31,024/- ड्राफ्ट [illegible] दिनांक 22.08.09 भारतीय स्टेट बैंक का वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। [illegible] वन विभाग से संबंधित है।

2. ब — [illegible] गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा।

दिनांक 17.02.2003 को म.प्र. राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। [illegible] संलग्न है।

2. स — उक्त गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा — 4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति [illegible] 6 माह के अन्दर [illegible] अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

[illegible]

एतत् कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

3. उपयोगकर्ता के खर्चे पर भूमि का नाप संख्या, सीमांकन, और खम्भों की पूर्ति आर. सी. सी. खम्भों (ऊंचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा।

दिनांक 18.08.2004 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया एवं परिवेदन विभाग भेजा गया है।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर वृक्षारोपण किया जाएगा। खनन एक सतत् प्रक्रिया है जो एक भाग से दूसरे भाग की ओर क्रमबद्ध रूप से किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर तत्काल वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा।

वृक्षारोपण हेतु उपयोगकर्ता द्वारा राशि रुपए 80,000/- (अस्सी हजार) जमा की गई है। वन विभाग के मद में 18.03.2003 को जमा की जा चुकी है। अंतिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ- 144/95/12/2 दिनांक 19.06.2003 द्वारा खनिपट्टा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है जिसका पालन उपयोगकर्ता द्वारा किया जाएगा।

6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

7. प्रस्तावित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत है।

<u>राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन</u> :-

1. आवेदक संस्थान से यह लिखित वचनपत्र लिया जावे कि भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं तो वह उन्हें मान्य होंगी।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

कृ. पृ. उ.

2. स्वीकृत खदान के आसपास के 2 किमी. की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आसपास के 2 किमी. के वन क्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तों के पालन में [illegible] संप्रेषित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

Sharad Kumar Bansal
P. O. JAITWARA
Dt. Satna (M.P.) Pin [illegible]

प्रतिलिपि
(1) वन संरक्षक, वन मंडल सतना (म.प्र.)
(2) उपवनमंडल अधिकारी नागौद ।

वचन पत्र

भारत सरकार वन विभाग के आदेश क्रमांक – 8 सी/5/435/1977 एफ सी डब्लु/2891 दिनांक 19.12.2002 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ – 5/16/97/10/3 दिनांक 05.03.2003 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल को ग्राम पिपरी टोला के कक्ष क्रमांक 203 पी. रकबा 8.000 हेक्टर वन भूमि (7.972 हेक्टर खनिज उत्खनन हेतु एवं 0.028 हे. निकासी मार्ग हेतु) पर ओकर फायर क्ले एवं लेटराइट खनिज के खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्सम्बन्ध में आवेदक द्वारा 3.40 हे. वन भूमि समर्पण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक – 8 C /5/435/1997 – FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक – 1948/1093/09/10 – 3/ दिनांक 10.08.2009 द्वारा समर्पण स्वीकार कर (8.00 हे. में से 3.40 हे.), शेष 4.60 हे. वन भूमि 10 वर्ष के लिए उपयोग पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 10.08.2009 में निर्धारित शर्तों की कंडिका 1 के अनुसार वन भूमि का वैधानिक स्वरुप परिवर्तित नहीं किया जाएगा । कंडिका 8 के अनुसार वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा । कंडिका 9 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा । कंडिका 10 के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि अतिरिक्त अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक उसे मानने को पावन बद्ध है। कंडिका 11 के अनुसार स्वीकृत खदान के आसपास 2 किमी. की परिधि में अवैध उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। 2 किमी. की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो इसकी लिखित सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिअधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी को दी जाएगी ।

20 SEP 2009

आवेदक

Sharad Kumar Bansal
P.O. JAITWARA
Dt. Satna (M.P.) Pin [illegible]

वन मण्डलाधिकारी
सतना

कार्यालय वन मण्डल, सतना, (म. प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ /सतना, दिनांक

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
रीवा वृत्त, रीवा (म. प्र.)

विषय– सतना जिले में लेटराइट खनिज [illegible] हेतु 8.000 हेक्टेयर वन भूमि में से संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हेक्टेयर वन भूमि [illegible] हेतु श्री शरद कुमार बंसल का प्रस्ताव।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./6580 दिनांक 11.09.09।

उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण पर भारत सरकार एवं म. प्र. शासन की स्वीकृति शर्तों के आधार पर संशोधित रकबा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग पर देने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां को निर्देशित कर क्षेत्र का सीमांकन करवाकर क्षेत्र को [illegible] कार्यवाही पूर्ण कराई गई। [illegible] सीमांकन उपरान्त आवेदक को उपयोग हेतु कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां द्वारा किये गये क्षेत्र सीमांकन प्रतिवेदन एवं आवेदक से प्राप्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक,
वन मण्डल, सतना

पृ. क्रमांक/मा.चि./ /सतना, दिनांक

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, खनिज शाखा सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स शरद कुमार बंसल, की ओर उनके आवेदन दिनांक 10.09.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वन संरक्षक,
वन मण्डल, सतना

प्रपत्र-10

GEO REFERENCED MAP FOR DIVERTED LAND

ORIGINAL NAME : RENEWAL OF ... LEASE OF ... WHITE CLAY & LATERITE

DIVISION: SATNA (M.P.)

TOTAL APPLIED AREA - [illegible] HA

AREA FOR MINING - [illegible] HA

AREA FOR EXIT PATH [illegible] HA

वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण ग्राम नयागांव खसरा क्रमांक 96/01 रकबा 8.000 हैक्ट0

रोपण स्थल – नयागांव का जियो मैप

वनपरिक्षेत्र मझगवॉ

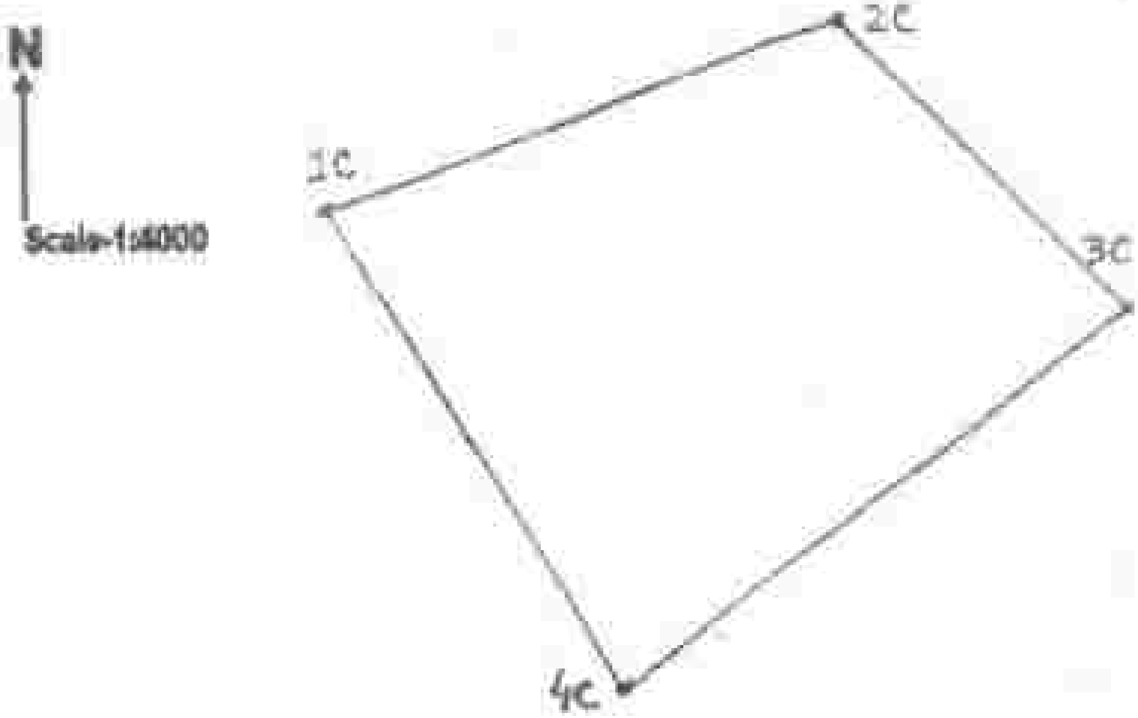

Pillar No.	Co ordinates points	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1C	24°50'6.50" N	80°51'58.60" E
2C	24°50'10.7" N	80°52'08.40" E
3C	24°50'5.63" N	80°52'13.60" E
4C	24°49'58.6" N	80°52'04.50" E